

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

nidm

Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18



Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट : www.nidm.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट एनआईडीएम 2017-18

© एनआईडीएम, नई दिल्ली

प्रकाशन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार),
नई दिल्ली-110001

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

दृष्टिकोण

“भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान बनना और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्थानों में से एक के रूप में पहचाना जाना। सभी स्तरों पर रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को विकसित करना और उसे बढ़ावा देकर आपदा मुक्त भारत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना।”

विषय सूची

1.	सिंहावलोकन	1-5
	1.1 संस्थान के बारे में	3
	1.2 प्रबंधन संरचना	3
	1.3 दृष्टिकोण	3
	1.4 मिशन	4
	1.5 कार्य	4
	1.6 प्रमुख क्षेत्र	5
2.	संगठनात्मक व्यवस्था	7-12
	2.1 संगठनात्मक ढांचा	9
	2.2 सामान्य प्रशासन	11
	2.3 हिंदी का प्रगामी प्रयोग	12
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	13-19
	3.1 उद्देश्य	15
	3.2 आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम	15
	3.3 प्रशिक्षण विधि	17
	3.4 प्रतिभागियों की रूपरेखा	18
	3.5 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	18
	3.6 स्व अध्ययन कार्यक्रम	19
4.	परियोजनाएं	21-28
	4.1 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम राहत परियोजना (एनसीआरएमपी)	23
	4.2 अध्ययन II : भारत के लिए आपदा के बाद की आवश्यकताओं का मूल्यांकन	25
	4.3 एनआईडीएम - जेएनयू - आपदा अनुसंधान कार्यक्रम (डीआरपी)	26
5.	ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यकलाप	29-34
	5.1 भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)	31
	5.2 प्रलेखीकरण और प्रकाशन	33
	5.3 एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस	33
	5.4 सूचना प्रसार	33

6.	मुख्य कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार	35-44
6.1	डीआरएम में सांस्थानिक निर्णय प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण : उच्च स्तरीय कार्यशाला	37
6.2	आपदा खतरे कम करने पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म : “राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और आपदा खतरे (तैयारी, राहत और रिकवरी के लिए बढ़ती भागीदारी)” पर प्री-इवेंट	37
6.3	एनआईडीएम और यूनीसेफ द्वारा आपदा खतरे कम करने के लिए राष्ट्रीय प्लेटफार्म की दूसरी बैठक से पूर्व “कर्टेन रेज़र इवेंट” के रूप में “विद्यालय सुरक्षा और बचाव की समीक्षा” पर आधे दिन के विचार विमर्श सत्र का आयोजन	38
6.4	आपदा खतरे कम करने पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म : “सोशली इंक्लूसिव डीआरआर-लीव-नो-वन बिहाइंड” पर प्री-इवेंट	38
6.5	आपदा के खतरे कम करने पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म “मल्टी-हज़ार्ड कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग-लीव-नो-वन बिहाइंड” पर प्री-इवेंट	38
6.6	राज्यों और संघ प्रदेशों के रेजीडेंट आयुक्तों के लिए “आपदा के खतरे कम करने के लिए आपदा प्रबंधन और चुनौतियों की जानकारी” पर कार्यक्रम	39
6.7	एनआईडीएम में जोखिम और संसाधन योजना – डीआईएस और डाटाबेस की भूमिका	40
6.8	लगातार सूखा का सामना करना : “खतरा कम करना और महिलाओं व बच्चों में जागरूकता बढ़ाना”	40
6.9	भारत में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सांस्थानीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला	42
6.10	एनआईडीएम संयुक्त निदेशक द्वारा कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) में आयोजित इंसिडेंट कमांड सिस्टम (आईसीएस) में सहभागिता	44
7.	वित्त और लेखा	45-47
8.	अनुबंध	49-77
8.1	अनुबंध-I : संस्थान के सदस्यों की सूची	51
8.2	अनुबंध-II : संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची	54
8.3	अनुबंध-III : एनआईडीएम में आयोजित आमने-सामने प्रशिक्षण की सूची (टीओटी, राष्ट्रीय/राज्य/अंतर्राष्ट्रीय) तथा ऑनलाइन	55
8.4	अनुबंध-IV : पुस्तकालय स्टॉक सत्यापन का सारांश	59
8.5	अनुबंध-V : लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ बैलेंसशीट	60

लघुरूप और परिवर्णी शब्द

एडीआरसी	एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र
एडीपीसी	एशियाई आपदा तैयारी केंद्र
एटीसी	वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन
एपीएचआरडीआई	आंध्र प्रदेश मानव संसाधन विकास संस्थान
एटीआई	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
बीएमटीपीसी	भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्
सीसीडीआरआर	बच्चों पर केंद्रित आपदा खतरे को कम करना
सी-डीएसी	उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय जल आयोग
डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
डीएमसी	आपदा प्रबंधन केंद्र
डीआरआर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
ईएस-ईआरआर	पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन - भूकंप जोखिम न्यूनीकरण
एडीआरएम	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण ज्ञान
जीएफडीआरआर	आपदा न्यूनीकरण और रिकवरी के लिए वैश्विक सुविधा
आईसीएसएसआर	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
आईडीकेएन	भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क
आईडीआरएन	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क
आईआईपीए	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
आईआईआरएस	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग
आईएमडी	भारत मौसम विभाग
आईएनजीओएस	अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन
आईजीईपी	इंडो-जर्मन पर्यावरण भागीदारी
जेएनयू	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
एमएचए	गृह मंत्रालय
एचएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओईएफएंडसीसी	पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
एनईसी	राष्ट्रीय सरकारी समिति
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनसीआरपी	राष्ट्रीय चक्रवात खतरा कम करने की परियोजना
एनआईआरडी	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
एनपीडीआरआर	राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफार्म
ओपीएसी	आनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग
पीडीएनए	आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एससीडीआर	आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र
एसडीएमए	राज्य आपदा प्रबंधन आयोग
एसडीएमसी	सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र
टीओटी	ट्रेनर्स का प्रशिक्षण
टीओएस	हितधारकों का प्रशिक्षण
टीएनए	प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनआईसीएफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूएन-एसपीआईडीआईआर	आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्रमंच
यूएसआईडी	अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी
डब्ल्यूबी	विश्व बैंक



कार्यकारी निदेशक की कलम से

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की स्थापना संसद के एक अधिनियम के अधीन की गई थी जिसका उद्देश्य भारत और इस क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए अग्रणी संस्थान की भूमिका निभाना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन एनआईडीएम को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखीकरण और नीति समर्थन की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय केंद्र और राष्ट्रीय संस्थान दोनों ही भूमिकाओं में इस संस्थान ने राष्ट्रीय कार्यसूची में आपदा जोखिम में कमी करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हमारा विश्वास है कि सभी संबंधितों को सहभागिता से “जागरूकता उत्पन्न करके” ही आपदा जोखिम में कमी लाई जा सकती है। हम केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, भारत और विदेशों में शैक्षिक, अनुसंधान और तकनीकी संगठनों तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से कार्य करते हैं। एनआईडीएम को गर्व है कि उसके पास आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में कार्य करने वाले व्यवसायिकों की एक बहु-विषयक कोर टीम है।

इस संस्थान ने वर्ष 2017-18 के दौरान अपने अधिदेश को कार्यान्वित करते हुए 1507 भागीदारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया और 10 सेमीनारों/कार्यशालाओं, 49 प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य समारोहों का आयोजन किया। यह संस्थान आमने-सामने, ऑनलाइन और स्वतः जानकारी के साथ-साथ उपग्रह आधारित प्रशिक्षण देता है। हमारा उद्देश्य आपदा को रोकने और उसके लिए तैयार रहने हेतु सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण द्वारा एक आपदा जागरूक भारत का निर्माण करना है।

यह उपलब्धि संस्थान के संकाय और स्टाफ के पूरे सहयोग के साथ प्राप्त की जा सकी। मैं गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी विभागों, संगठनों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

बी. एच. अनिल कुमार
बी. एच. अनिल कुमार, भा.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक

अध्याय

1

सिंहावलोकन

अध्याय 1: सिंहावलोकन

1.1 संस्थान के बारे में

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दिनांक 30.10.2006¹ को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारक तंत्र और राहत उपायों² के संबंध में आपदा प्रबंधन प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करने के क्षेत्र में योजना बनाने और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र से 16 अक्टूबर, 2003 को पुनः नामित होने के बाद से एनआईडीएम सभी स्तरों पर आपदा रोकने और इसके लिए तैयार रहने की संस्कृति का विकास करके तथा इसे बढ़ावा देकर एक आपदा जागरूक भारत तैयार करने के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

1.2 प्रबंधन संरचना

राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2006 के अनुसार, संस्थान में 42 सदस्य हैं जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के सचिव, संबंधित राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संगठनों के अध्यक्ष, प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यवसायिक शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है।

संस्थान की शासी परिषद में 15 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और गृह सचिव उपाध्यक्ष³ हैं। संस्थान के दैनिक प्रशासन का संचालन कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है।

संस्थान के पांच शैक्षिक प्रभाग हैं :-

- भौगोलिक जोखिम प्रबंधन
- जल और मौसम संबंधी आपदा
- नीति आयोजन और संबंधित मुद्दे
- ज्ञान प्रबंधन और संचार⁴
- आपातकाल प्रतिक्रिया प्रबंधन

1.3 दृष्टिकोण

भारत में आपदा जोखिम में कमी करने और इसके प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अग्रणी उत्कृष्टता संस्थान बना और इस क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी संस्थान के रूप में पहचान बनाना। सभी स्तरों पर आपदा रोकने और इसकी तैयारी करने की संस्कृति का विकास और संवर्धन करके एक आपदामुक्त भारत के प्रति निरंतर प्रयास करना⁵।

¹ एनआईडीएम का गठन 30.10.2006 की का.आ. संख्या 1862(अ) द्वारा किया गया है।

² आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 42(8)

³ एनआईडीएम नियम, 2006 की धारा 6

⁴ शासी परिषद की दूसरी बैठक, 2008

⁵ प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक

1.4 मिशन

- नीति तैयार करने में सहायता देकर सरकार के लिए एक विचारक मंडल के रूप में कार्य करना;
- निम्नलिखित द्वारा आपदाओं के दुष्परिणामों और प्रभावों को कम करने में सहायता देना:
 - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं की आयोजना और संवर्धन;
 - अनुसंधान, प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करना;
 - आपदा के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने और राहत के लिए पद्धति विकास और सुविज्ञता को प्रोत्साहित करना;
 - जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी संबंधितों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना;
 - सभी संबंधितों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थानिक तंत्र का सुदृढीकरण;
 - नेटवर्किंग और सूचना, अनुभव और सुविज्ञता साझा करना ⁶।

1.5 कार्य

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थान को निम्नलिखित कार्य ⁷ सौंपे गए हैं :-

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, आपदा प्रबंधन में अनुसंधान और प्रलेखन करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित करना
- आपदा प्रबंधन से सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना
- राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करना
- विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना
- राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सहायता के रूप में राज्य सरकार और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करना
- शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षिक सामग्रियों का विकास
- कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कर्मियों और बहु-खतरा कम करने, तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना
- उपरोक्त वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, व्याख्याताओं, सेमिनारों को व्यवस्थित करना और सुगम बनाना
- पत्रिकाओं, शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए समर्थन प्रदान करना और पुस्तकालयों की स्थापना और रख-रखाव आदि।

1.6 प्रमुख क्षेत्र

प्रशिक्षण

- i. **आमने सामने प्रशिक्षण :** एनआईडीएम सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक विषयों और क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न शीर्षकों पर परिसर में और परिसर के बाहर दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- ii. **वेब आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण :** यह संस्थान आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विशेष विषयों पर ऑन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रयोक्ता रजिस्टर करके ऑनलाइन अध्ययन पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं।
- iii. **स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम :** संस्थान ने वेब आधारित स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जिसके लिए कोई भी किसी भी समय लॉग ऑन कर सकता है और इन पाठ्यक्रमों से सीख सकता है।

1.6.1 अनुसंधान और प्रलेखीकरण

एनआईडीएम देश में होने वाली बड़ी आपदाओं का प्रलेखीकरण करता है ताकि इसके प्रबंधन से सबक लिया जा सके और इन मामला अध्ययनों का प्रयोग प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए संसाधन सामग्री और अनुकार अभ्यास के लिए किया जा सके।

1.6.2 नीति अध्ययन और सहायता

ज्ञान और अनुसंधान संस्थान होने के नाते एनआईडीएम गृह मंत्रालय, एनडीएमए और अन्य हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर के दिशानिर्देश, नीतियां और योजनाएं आदि तैयार करने में सहायता देता है।

एनआईडीएम राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य स्तर की नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन मंच तैयार करने और हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए उनके (राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों) द्वारा अपेक्षित अन्य कोई सहायता प्रदान करता है।

1.6.3 ज्ञान एकीकरण

एनआईडीएम नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, शोध, प्रलेखीकरण आदि के लिए कार्यक्रम आधारित गतिविधियों पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, तकनीकी तथा विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग द्वारा ज्ञान एकीकरण करता है।

अध्याय

2

संगठनात्मक व्यवस्था

अध्याय 2: संगठनात्मक व्यवस्था

केंद्रीय गृह मंत्री संस्थान की आम सभा के अध्यक्ष हैं और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य सचिव हैं।

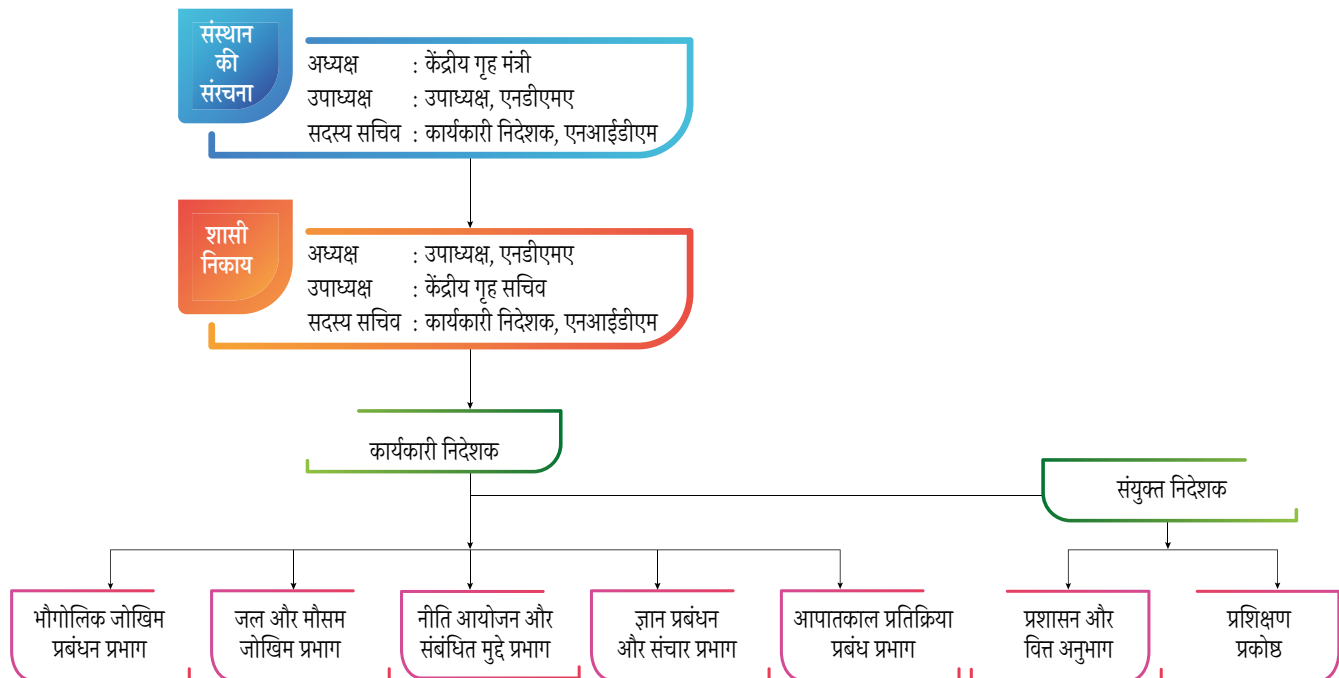
संस्थान में 42 सदस्य हैं जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों के अध्यक्षों के अलावा प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यवसायी शामिल हैं
(अनुलग्नक-I : संस्थान के सदस्यों की सूची)

संस्थान की एक शासी परिषद है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या केंद्रीय गृह सचिव संस्थान की शासी परिषद के उपाध्यक्ष हैं। **(अनुलग्नक-II : संस्थान की शासी परिषद के सदस्यों की सूची)**

संस्थान के पाँच शैक्षिक प्रभाग नामतः भौगोलिक जोखिम प्रबंधन प्रभाग, जल और मौसम संबंधी आपदा प्रभाग, नीति आयोजन और संबंधित मुद्दे प्रभाग, ज्ञान प्रबंधन और संचार प्रभाग तथा प्रतिक्रिया प्रभाग जिनकी सहायता के लिए प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, पुस्तकालय, आईटी प्रकोष्ठ और प्रशासन प्रभाग हैं।

2.1 संगठनात्मक ढांचा

संस्थान में पुस्तकालय, आईटी प्रकोष्ठ और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के अलावा पाँच शैक्षिक प्रभाग हैं (चित्र 2.1)।



चित्र 2.1

तालिका 2.1 : एनआईडीएम के कार्यकारी अधिकारी

क) कार्यकारी निदेशक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	प्रो. संतोष कुमार	कार्यकारी निदेशक (आई/सी) (26.12.2014 से 13.06.2017 तक)
2.	श्री बिपिन मल्लिक, भा.प्र.से.	कार्यकारी निदेशक (अतिरिक्त प्रभार 13.06.2017 से 12.02.2018 तक)
3.	श्री संजीव कुमार जिंदल	कार्यकारी निदेशक (अतिरिक्त प्रभार 12.02.2018 से 01.04.2018 तक)

ख) संयुक्त निदेशक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
4.	श्री राजेश कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक (01.01.2016 से) और अध्यक्ष प्रतिक्रिया प्रभाग 01.01.2017 से 28.07.2017 तक

ग) प्रशासनिक अधिकारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
5.	श्री आशीष शर्मा	द्वितीय प्रभारी (प्रशासन) (07.11.2017 से) एनडीआरएफ से अटैचमेंट होने पर
6.	श्री अनिल शेखावत	उप-कमान्डेंट (प्रशिक्षण) (11.01.2018 से) एनडीआरएफ से अटैचमेंट होने पर

एनआईडीएम की संकाय की प्रभाग वार सूची तालिका 2.2 पर दी गई है।

तालिका 2.2 : एनआईडीएम का संकाय

आपातकाल प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रभाग		
1.	प्रो. संतोष कुमार	अध्यक्ष (आईआरएम प्रभाग) (28.07.2017 से)
2.	ले. कर्नल पी.के. पाठक (सेवानिवृत्त)	परामर्शदाता (01.01.2017 से 31.08.2017 तक)
3.	श्री शेखर चतुर्वेदी	शोध सहयोगी
भौगोलिक खतरा विभाग		
4.	डा. चंदन घोष	प्रोफेसर एवं प्रमुख
5.	डा. आमिर अली खान	सहायक प्रोफेसर
6.	डा. ऋतु राज	शोध सहयोगी

जल-मौसम संबंधी खतरा प्रभाग		
7.	डा. सूर्य प्रकाश	प्रमुख (अतिरिक्त आई/सी)
8.	डा. आशुतोष देव कौशिक	शोध सहयोगी
ज्ञान प्रबंधन और संचार प्रभाग		
9.	डा. सूर्य प्रकाश	एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख
10.	डा. चंद्राणी बंधोपाध्याय	सहायक प्रोफेसर
नीति आयोजना और संबंधित मुद्दे प्रभाग		
11.	डा. अनिल के. गुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख
12.	डा. अजिन्दर वालिया	सहायक प्रोफेसर
13.	डा. सुषमा गुलेरिया	शोध सहयोगी

2.2 सामान्य प्रशासन

संस्थान के कार्यकारी निदेशक संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और शासी निकाय के निर्देश और मार्गदर्शन के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कार्यकारी निदेशक को संयुक्त निदेशक, लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इस कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। संस्थान के प्रशासन में मुख्य रूप से समन्वय, सांविधिक बैठकों का संचालन, प्रतिष्ठान और कर्मियों का संचालन, सुरक्षा, परिसर समर्थन सेवाएं और कर्मचारियों के कल्याण शामिल हैं। यह कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करके संस्थान में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं। एनआईडीएम के कर्मचारी तालिका 2.2 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 2.3 : एनआईडीएम के कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री हेमंत कुमार	कम्प्यूटर प्रोग्रामर
2.	श्री संतोष कुमार तिवारी	पुस्तकालयाध्यक्ष
3.	सुश्री रितु सूद	प्रशासनिक सहायक
4.	श्री एस.एस. बिष्ट	जूनियर सहायक
5.	श्री अविनाश कुमार पांडेय	निजी सहायक
6.	श्री जे.एन. झा	जूनियर इंजीनियर

क्र.सं.	नाम	पदनाम
7.	सुश्री अमृता गुप्ता	निजी सहायक
8.	सुश्री संतोष मिश्रा	डाटा एंट्री ऑपरेटर
9.	सुश्री गीता शर्मा	डाटा एंट्री ऑपरेटर
10.	श्री राजीव कुमार	डाटा एंट्री ऑपरेटर
11.	सुश्री मेघा कोहली	डाटा एंट्री ऑपरेटर
12.	श्री अमर सिंह	मशीन ऑपरेटर
13.	श्री लक्ष्मण सिंह	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
14.	श्री विजय कनोजिया	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
15.	श्री पंकज कुमार	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
16.	सुश्री जया	लाइब्रेरी अटेंडेंट

2.3 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर, पृष्ठ स्मृति, पुस्तिकाएं, और वार्षिक रिपोर्ट आदि के रूप में विभिन्न आईईसी सामग्री एनआईडीएम द्वारा हिंदी में विकसित की गई है। बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हिंदी में विभिन्न मॉड्यूलों का भी अनुवाद किया गया। एनआईडीएम वेबसाइट भी द्विभाषी बना दी गई है।

अध्याय

3

प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय 3: प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन के अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर जोर देना संस्थान के प्रमुख प्रयासों में से एक रहा है। इस प्रयास के रूप में, एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम, आपदा जोखिम में कमी के संबंध में विभिन्न क्षमता निर्माण मुद्दों पर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

शैली की प्रणाली वितरण के आधार पर कार्यक्रमों को वर्गीकृत किया जाता है :

- i. आमने-सामने प्रशिक्षण
- ii. ऑनलाइन प्रशिक्षण
- iii. स्व अध्ययन पाठ्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान **49 प्रशिक्षण** कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से **46** आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम थे, और **3** ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम थे। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 1507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

3.1 उद्देश्य

नीतियों में डीआरआर को मुख्य धारा के रूप में जोड़ने के लिए कौशल प्रदान करना, योजना और कार्यक्रम एनआईडीएम का एक प्राथमिक उद्देश्य है। एनआईडीएम आपदा प्रबंधन कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों, जो आपदा और विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं, में केंद्रित और उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों से तैयार किए गए हैं :

- प्रभावी कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना और विकास कर्मियों के ज्ञान को विस्तृत करना
- केंद्र और राज्यों के विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की उभरती जरूरतों के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों और परामर्शों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी देना
- दौरे द्वारा जानकारी, सफल मामलों के दस्तावेज और विकास के माध्यम से विकास कर्मियों के बीच व्यवहारिक बदलाव करना

3.2 आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देने की रीति, लक्ष्य समूह और विषय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

3.2.1 आमने-सामने प्रशिक्षण

यह संस्थान एनआईडीएम में या राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई)/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आमने-सामने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। शैक्षिक प्रभागों के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लगभग सभी पक्षों पर चर्चा की जाती है।

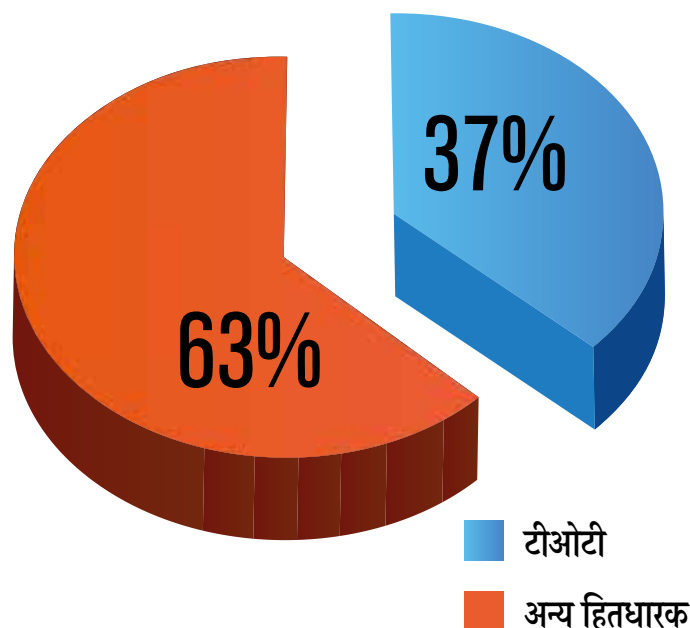
लक्ष्य समूह के आधार पर आमने-सामने प्रशिक्षण दो प्रकार से दिया जाता है।

ट्रेनर विकास कार्यक्रम (टीओटी) और सामान्य प्रशिक्षण। कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशिक्षित किए गए 1507 प्रशिक्षुओं में से 498 ने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) में भाग लिया, 895 ने अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 114 ने आपदा राहत के साथ जोड़े गए विभिन्न हितधारक क्षेत्रीय विभागों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया (तालिका 3.1)। इस प्रकार कुल आमने-सामने चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 37% प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आधार पर थे और 63% प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को दिए गए (चित्र 3.1)। पिछले चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का तुलनात्मक विश्लेषण चित्र में दर्शाया गया है (चित्र 3.2)।

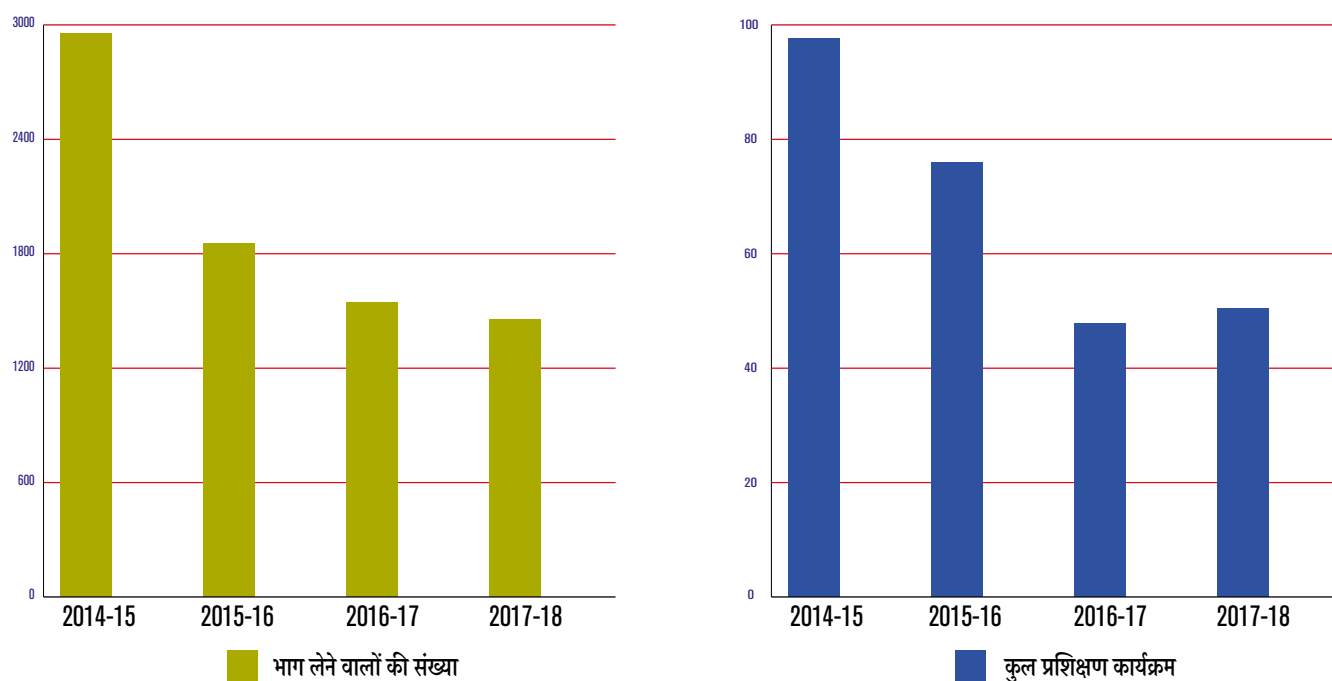
तालिका 3.1 वर्ष 2017-18 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

प्रशिक्षण का विवरण		प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)		अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम		ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	
कुल प्रशिक्षण	सहभागियों की कुल संख्या	कुल प्रशिक्षण	सहभागियों की कुल संख्या	कुल प्रशिक्षण	सहभागियों की कुल संख्या	कुल प्रशिक्षण	सहभागियों की कुल संख्या
49	1507	17	498	29	895	3	114



चित्र 3.1 : 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

तालिका 3.2 पिछले चार वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण



चित्र 3.2 बार चार्ट में पिछले चार वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाया गया है।

3.3 प्रशिक्षण विधि

विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और साथ ही कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सहभागियों के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशिक्षण तरीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण के तरीकों में शामिल हैं :

- व्याख्यान सह-विचार-विमर्श
- मामला अध्ययन प्रस्तुतिकरण
- कार्य का अभ्यास
- समूह विचार-विमर्श/अभ्यास/कार्य सत्र

- फील्ड की जानकारी और अध्ययन दौरे
- पैनल विचार-विमर्श
- अनुकरण और भूमिका निभाना
- मेज़ पर अभ्यास

3.4 प्रतिभागियों की रूपरेखा

चूंकि एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन में लगे विभिन्न ग्राहक समूहों को शामिल किया गया है अतः प्रशिक्षुओं का प्रोफाइल निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है :

- सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारी);
- सिविल समाज संगठन (आपदा प्रबंधन व्यवसायिक);
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू);
- शिक्षाविद् (शोधकर्ता, वैज्ञानिक, स्कूल शिक्षक और विश्वविद्यालय संकाय);
- ज्ञान भागीदार;
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार (सरकारी विभाग, यूएन एजेंसियां, आईएनजीओ);
- अवसंरचना व्यवसायिक (इंजीनियर, वास्तुक, निर्माण एजेंसियां आदि)।

3.5 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विश्व बैंक के सहयोग से आपदा जोखिम प्रबंधन पर ई-लर्निंग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इन पाठ्यक्रमों में दूर बैठे सहभागियों के लिए व्यवसायिक दिशानिर्देशन के अधीन आपदा जोखिम के प्रबंधन और राहत के संबंध में जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण सामग्री ऑनलाइन देखी जा सकती है और पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद किसी भी समय प्रयोग करने के लिए डाउनलोड की जा सकती है। पंजीकृत सहभागियों द्वारा सभी मॉड्यूल ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफार्म के माध्यम से देखे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रजेंटेशन और श्रव्य, चर्चा मंच, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण, अभ्यास और एंड-ऑफ-कोर्स परियोजना शामिल है जिसका मूल्यांकन अनुभव प्राप्त पाठ्यक्रम सहायकों द्वारा किया जाता है। सफल होने वाले उम्मीदवारों को एनआईडीएम और विश्व बैंक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान ऐसे कुल तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 114 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया।

3.6 स्व-अध्ययन कार्यक्रम

एनआईडीएम सामान्य जनता के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन में कार्य और ज़िम्मेदारी निभाने वाले अन्य हितधारकों के लिए स्व-अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी अपनी सुविधा के अनुसार देखे जा सकते हैं।

एनआईडीएम ने स्व-अध्ययन कार्यक्रम के अधीन 10 पाठ्यक्रम पहले ही पूरे कर लिए हैं। इन पाठ्यक्रम में शामिल हैं (i) आपदा प्रबंधन की मूल जानकारी, (ii) समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (सीबीडीआरएम), (iii) नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों के लिए गाइड, (iv) लोक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए गाइड, (v) विद्यालय सुरक्षा, (vi) बाढ़ जोखिम में राहत और प्रबंधन की जानकारी, (vii) चक्रवात खतरे में राहत और प्रबंधन, (viii) भूस्खलन खतरे में राहत और प्रबंधन, (ix) भूकंप खतरे में राहत और प्रबंधन तथा (x) औद्योगिक रसायन आपदा खतरे में राहत और प्रबंधन की जानकारी। विवरण संस्थान की वेबसाइट (www.nidmssp.in) पर उपलब्ध हैं।

अध्याय

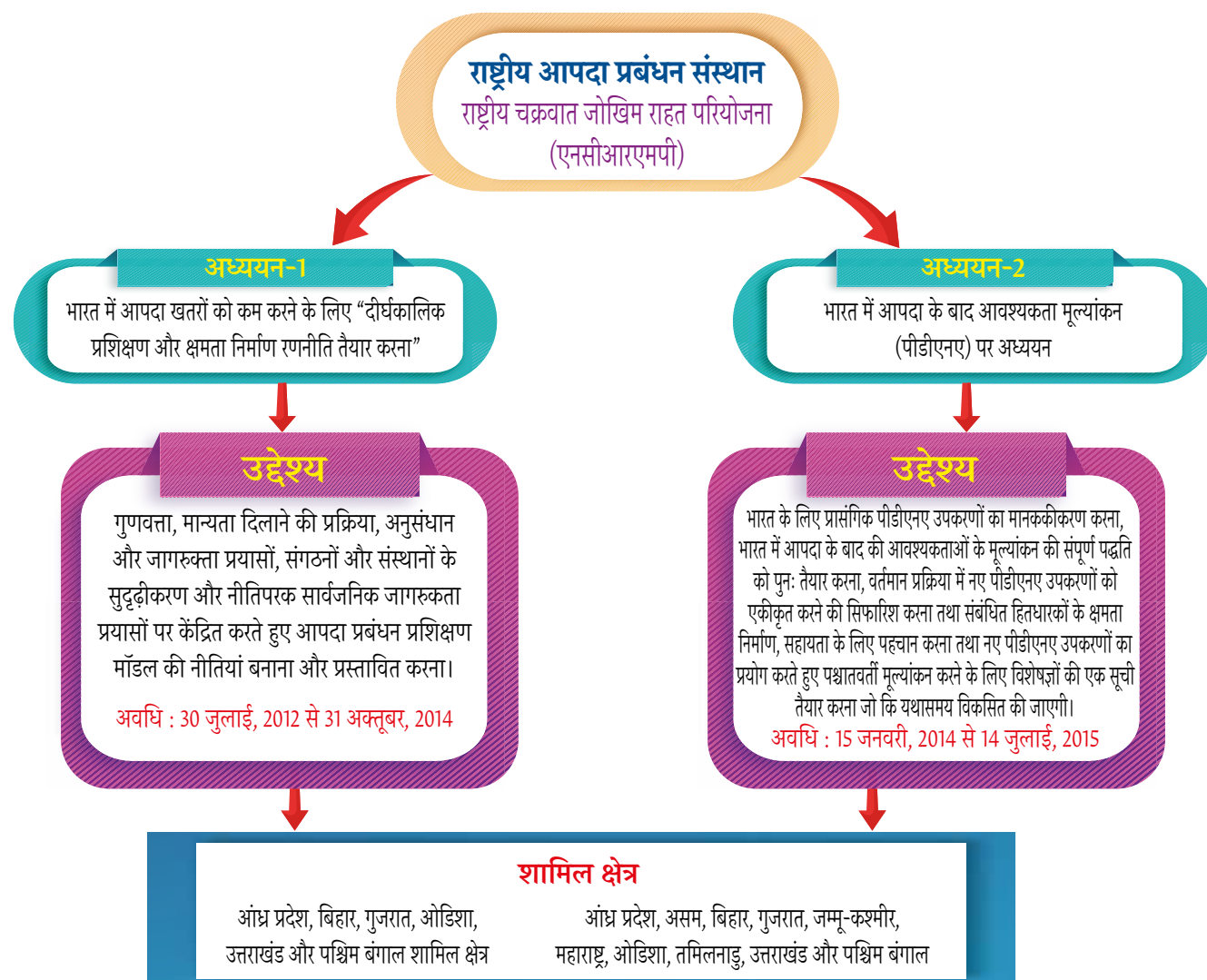
4

परियोजनाएं

अध्याय 4: परियोजनाएं

4.1 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम राहत परियोजना

एनआईडीएम को एनसीआरएमपी के घटक 'सी' के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। एनसीआरएमपी के घटक 'सी' का विशेष लक्ष्य केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर आपदा जोखिम में कमी (डीआरएम) का सुदृढ़ीकरण करना है ताकि जोखिम में कमी के उपायों को समग्र विकास कार्य सूची की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस घटक के अंतर्गत एनआईडीएम द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल हैं:-क) भारत में डीआरएम के लिए “दीर्घकालिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रणनीति तैयार करना” पर अध्ययन और ख) भारत में आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) पर अध्ययन।



एनआईडीएम ने एनसीआरएमपी के अधीन अध्ययन शुरू किया और इस अध्ययन के परिणाम के एक भाग के रूप में विभिन्न दस्तावेज तैयार किए क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिकता प्रशिक्षण विषय इस प्रकार हैं :-

- i. विकास योजना में डीआरआर मुख्य धारा में
- ii. विकास नीतियों और कार्यक्रमों में डीआरआर मुख्य धारा में
- iii. सिटी डेवलपमेंट प्लान (सीडीपी) और उनके कार्यान्वयन रणनीतियों में डीआरआर मुख्य धारा में
- iv. भूमि पर विकास के लिए डीआरआर को मुख्य धारा में लाने के लिए पीआरआई को सुदृढ़ बनाना
- v. आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की तैयारी करना ज्ञान, नवीनता और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और लचीलापन की संस्कृति बनाना
- vi. प्रारंभिक चेतावनी और अंतिम मील सम्पर्क सहित आपातकालीन संचार को सुदृढ़ करना
- vii. समुदाय के नेतृत्व में खतरे जोखिम और क्षमता (सीएलएचआरवीसी) मूल्यांकन
- viii. भागीदारी प्रशिक्षण और क्षमता की आवश्यकता मूल्यांकन (पीटीसीएनए)
- ix. भागीदारी मूल्यांकन और कार्य सीखना (पीईएएल)
- x. आपदा प्रबंधन योजनाओं में लिंग दृष्टिकोण को एकीकृत करना
- xi. आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता पैदा करने में मीडिया का उपयोग
- xii. ज्ञान, नवीनता और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और लचीलापन की संस्कृति बनाना

आधार मॉड्यूल और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित सभी मॉड्यूल उपर्युक्त में से निम्नलिखित विषयों के लिए तैयार किए गए थे :

- i. ग्रामीण विकास
- ii. स्वास्थ्य
- iii. शिक्षा
- iv. शहरी स्थानीय निकाय
- v. पंचायती राज संस्थान
- vi. मीडिया – वरिष्ठ पत्रकारों के लिए
- vii. मीडिया – प्रवेश स्तर के पत्रकारों के लिए

क्षमता विकास घटकों के अधीन निम्नलिखित अन्य अध्ययन/दस्तावेज़ तैयार किए गए जिनमें एनआईडीएम इसके कार्यान्वयन के लिए कार्य करेगा।

1. क्षमता निर्माण की स्थिति के रूप में श्वेत पत्र
2. मान्यता नीति
3. उत्कृष्टता केंद्र का विकास

एनआईडीएम में पांच क्षेत्रों नामतः शिक्षा, पंचायती राज संस्थान, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शहरी विकास में मास्टर ट्रेनर विकास कार्यक्रम का आयोजन वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण अध्ययन के लिए परिणाम हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में किया है।

4.2 अध्ययन II : भारत के लिए आपदा के बाद की आवश्यकताओं का मूल्यांकन

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के लिए प्रासंगिक मानकीकृत पीडीएनए तैयार करना, नए पीडीएनए उपकरणों का वर्तमान प्रक्रिया में एकीकरण करने के लिए सिफारिशें देना, संबंधित हितधारकों की पहचान और क्षमता निर्माण/सहायता तथा नए पीडीएनए उपकरणों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करना जो बाद में यथासमय तैयार की जाएगी।

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के लिए वैज्ञानिक और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ मानकीकृत पीडीएनए उपकरणों का विकास करना है। यह अध्ययन निम्नलिखित 10 प्रतिनिधि राज्यों के लिए किया जाएगा – तमिलनाडु, आंध्र-प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र। इस अध्ययन से ऐसे उपकरणों को विकसित करने में सहायता मिलेगी जो भारत में फिलहाल व्यवहार किए जा रहे वर्तमान उपकरणों में कमियों को दूर करेंगे और इसके परिणामस्वरूप आपदा के बाद होने वाली क्षति और ज़रूरतों के मूल्यांकन का एक तंत्र उपलब्ध होगा।

अंततः यह परियोजना राज्य सरकारों को किसी आपदा के दौरान होने वाली क्षति का अधिक सटीक और पारदर्शी मूल्यांकन करने में मदद करेगी और इससे राहत योजना तैयार की जा सकेगी तथा एक मानकीकृत विधि के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की ज़रूरतों का पता चल सकेगा।

यह अध्ययन 31 जनवरी, 2017 को पूरा किया गया। परामर्शदाताओं द्वारा सभी परिणाम अध्ययन की तकनीकी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए गए।

इसके निष्कर्ष इस प्रकार हैं

1. पीडीएनए उपकरण
2. पीडीएनए विधि पर पुस्तिका
3. ट्रेनर/व्यवसायिक विकास के लिए टीओटी

एनआईडीएम गृह मंत्रालय/एनडीएमए के परामर्श से कार्यान्वयन प्रक्रिया कर रहा है।

4.3 एनआईडीएम – जेएनयू – 2017-18 के लिए आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर) आपदा अनुसंधान कार्यक्रम (डीआरपी)

एनआईडीएम द्वारा आपदा और विकास के विभिन्न आयामों पर अन्य मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनुसंधान, परामर्श और सहयोगी परियोजनाएं चलाई जाती हैं। इन परियोजनाओं के निष्कर्षों का प्रयोग जोखिम को समझने, योजनाएं और नीति दस्तावेज़ तैयार करने के लिए किया जाता है और ये क्षेत्र से प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भी मुख्य घटक होते हैं। अनुसंधान निष्कर्षों का एनआईडीएमके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और मामला अध्ययन मॉड्यूल विकसित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है।

शीर्षक :

एनआईडीएम – जेएनयू – आपदा अनुसंधान कार्यक्रम (डीआरपी)

लक्ष्य :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बीच शैक्षिक सहयोग की संकल्पना गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक संयुक्त कार्यक्रम के रूप में एनआईडीएम के माध्यम से की गई थी। इसके लिए एनआईडीएम और जेएनयू के बीच 6 अगस्त, 2015 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग तीन स्तंभों पर आधारित था जो इस प्रकार हैं :

- i. संयुक्त अनुसंधान कार्यकलाप, सेमिनार और सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शैक्षिक बैठकें।
- ii. शैक्षिक सामग्री, डाटा और अन्य शैक्षिक/प्रशासनिक सूचना का आदान-प्रदान।
- iii. संयुक्त रूप से पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम, दोनों संस्थानों के संकाय के साथ सह-पर्यवेक्षण और जहां संभव हो, संयुक्त शिक्षण।

उद्देश्य :

सहयोग के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- i. जेएनयू में आपदा और रेज़िलेंस पर अनुसंधान भवन में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो एनआईडीएम के सहयोग से और एनआईडीएम की वित्तीय सहायता से कार्य करेगा।
- ii. यूजीसी मानकों और जेएनयू अध्यादेश में विहित प्रक्रियाओं के अनुसार जेएनयू में शुरू किए जाने वाले एम.फिल. और पीएचडी कार्यक्रम।



माननीय राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजु ने जेएनयू नई दिल्ली में 'आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र' का उद्घाटन किया

प्रगति :

जेएनयू में नए शैक्षिक अनुसंधान केंद्र का अंततः जेएनयू में उद्घाटन किया गया, जिसका नाम 'आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र' (एससीडीआर) रखा गया है और यह अंतः विषयक केंद्र है। एनआईडीएम और जेएनयू के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार यह विशेष केंद्र जेएनयू में स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन 26 अक्टूबर, 2017 को माननीय राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजु द्वारा किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान में सहायता करना और इसका उद्देश्य यह है कि अनुसंधान की प्रवृत्ति केवल सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के कड़े मूल विषयों तक ही

सीमित न हो बल्कि यह इन सीमाओं और सीमित क्षेत्र को पार करते हुए निर्णय प्रक्रिया में वैज्ञानिक निष्कर्षों को ग्रहण करने और निर्णय लेने वाले समुदायों तथा संस्थानों तक इन निष्कर्षों का प्रसार व निर्देशन करके जागरूकता लाई जाए। तीन प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं, पहला : प्राकृतिक विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और उपग्रह चित्रांकन, दूसरा : समुदाय संस्थान और निर्णय लेने का कानूनी ढांचा, तीसरा : आपदा प्रबंधन का प्रशासन और सरकारी एजेंसियां।

निष्पादन :

एससीडीआर को उनकी शैक्षिक परिषद द्वारा दो कार्यक्रम (स्नातकोत्तर और पीएचडी) शुरू करने का अनुमोदन दिया गया है। आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे वर्तमान स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे वर्तमान स्नातकोत्तर कार्यक्रम से उच्चतर ऊंचा होगा और अनुसंधान में कौशल निर्माण, परिस्थितिक विश्लेषण में कई प्रशिक्षण और तुलनात्मक द्वारा विश्लेषण में एलएलएम कार्यक्रम के समकक्ष होगा।



माननीय राज्यमंत्री श्री किरण रिजिजु ने जेएनयू नई दिल्ली में एक पुस्तक श्रृंखला का विमोचन किया।

केंद्र की ओर से एक पुस्तक श्रृंखला जारी की गई है जिसमें अनुभवों को एकत्रित करने, समुदाय प्रयासों का वर्णन करने तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में उन कमियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है जिनके कारण समुदायों को बार-बार आपदाओं का सामना करना पड़ता है।

संपूर्ण पाठ्यक्रम की संरचना चार मुख्य विषयों पर तैयार की गई है जो इस प्रकार हैं :-

- i. आपदा प्रबंधन का शासन और कानूनी ढांचा
- ii. आपदाओं के कारणों का अध्ययन और समुदायों को उनकी जानकारी देना
- iii. जीआईएस प्रौद्योगिकी, गणनात्मक आसूचना (एआई) और मशीन लर्निंग
- iv. आपदा अर्थशास्त्र, आजीविका और बीमा।

कार्यकलाप :

फरवरी, 2016-जून, 2017 **कॉलेज क्लस्टर इनिशिएटिव फॉर माइक्रो-लेवल नेबरहुड मैपिंग प्रोग्राम (2016-17)** जिसका आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन कॉलेजों-लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन, मिरांडा हाउस और कमला नेहरू कॉलेज के सहयोग से किया गया और जिसका उद्देश्य युवाओं को सहभागिता द्वारा जानकारी देना था।

26-28 अक्टूबर, 2017 **“भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास, आपदाएं और समुदाय अभ्यस्तता” पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला/माननीय गृह राज्यमंत्री श्री किरण रिजिजु ने जेएनयू में आपदा अनुसंधान के लिए एक विशेष केंद्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया।**

6-10 नवंबर, 2017 **विशाखापत्तनम में आपदा प्रबंधन पर तीसरा विश्व सम्मेलन** जिसका आयोजन डीएमओसीएस, आंध्र प्रदेश सरकार, एनएपीएसआईपीएजी, भारतीय यूनेस्को-नेटक्सप्लो यूनिवर्सिटी नेटवर्क के सहयोग से किया गया।

5-18 फरवरी, 2018, **आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला** जिसमें “आपदा प्रबंधन पर सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोण” संबंधी सत्र में गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

16-18 फरवरी, 2018 **क्राइसिस लीडरशिप सेंटर, केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नेंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** जिसमें “आपदा तैयारी और राहत में संस्थानिक निर्णय प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण” विषय पर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डिज़ास्टर रिसर्च से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया।

अध्याय

5

ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यकलाप

अध्याय 5: ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यकलाप

5.1 भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

आईडीआरएन की शुरुआत गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार-यूएनडीपी आपदा प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003 में की गई थी (चित्र 5.1)



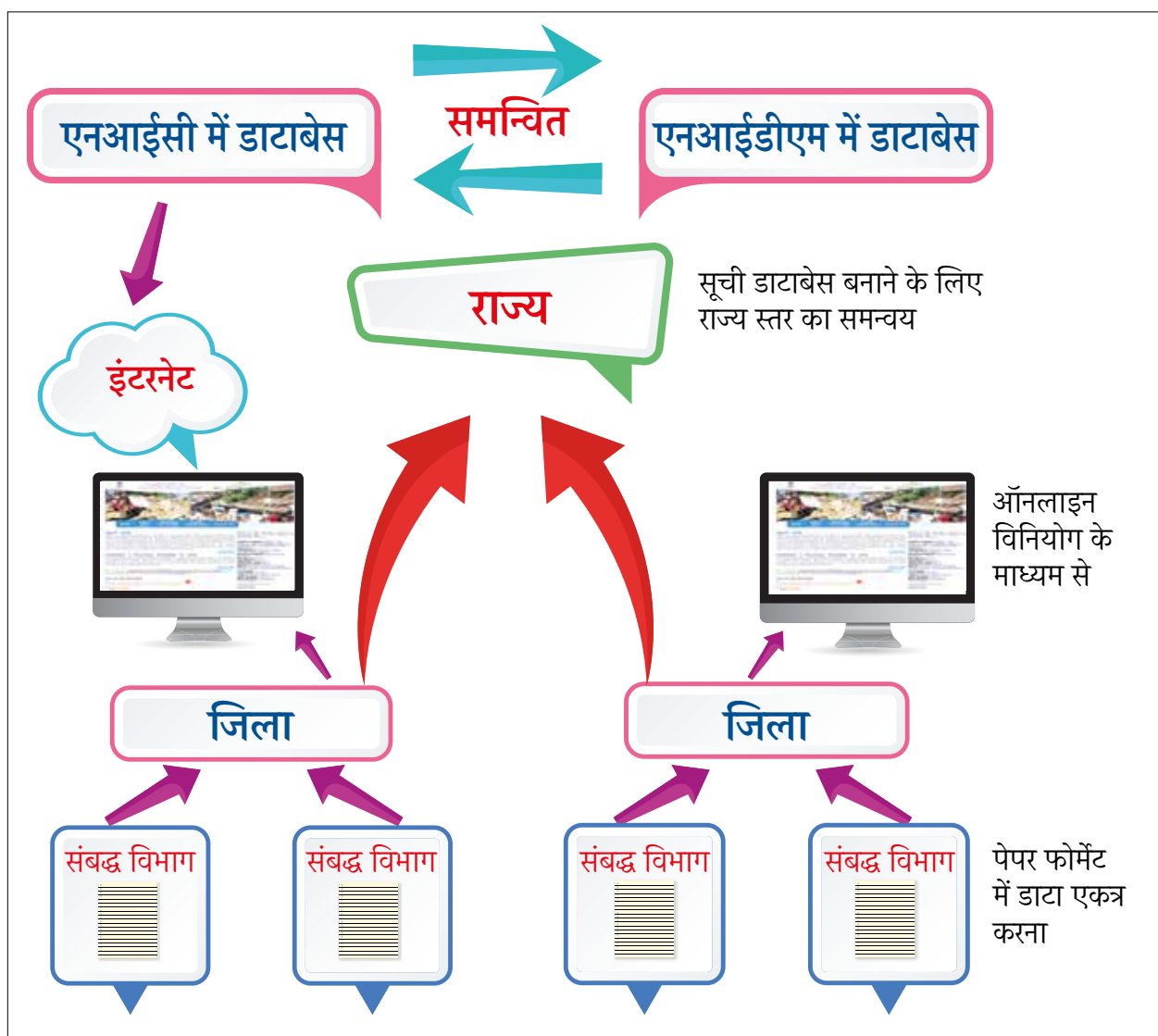
चित्र 5.1 आईडीआरएन का होमपेज www.idrn.gov.in

आईडीआरएन के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को वर्ष 2008 से आईडीआरएन की मॉनिटरिंग और रख-रखाव का दायित्व सौंपा है।

आईडीआरएन एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह यंत्र, मानव संसाधन और महत्वपूर्ण सफ्टवेयर के संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है जो जिला स्तर पर संबद्ध विभागों और एजेंसियों के पास उपलब्ध है। राज्य और जिला प्राधिकारी किसी आपात स्थिति के दौरान सभी उपलब्ध संसाधनों की अद्यतन सूचना समय पर प्राप्त करने के लिए आईडीआरएन का प्रयोग कर सकते हैं जो किसी आपात स्थिति के दौरान जीवन, संपत्ति और अन्य अवस्थापना की क्षति को कम करने में अत्यधिक सहायक है।

5.1.1 आईडीआरएन की कार्यप्रणाली

आईडीआरएन पोर्टल की मॉनिटरिंग और रख-रखाव एनआईडीएम द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है। एनआईडीएम की भूमिका प्रयोक्ता प्रशासन तक सीमित है। आईडीआरएन पोर्टल में डाटा को अद्यतन करने के संबंध में राहत/राजस्व/आपदा प्रबंधन के राज्य विभाग तथा एसडीएमए जिला मजिस्ट्रेट/जिला समाहर्ता के साथ समन्वय करते हैं। जिला स्तर पर डाटा एकत्र करने और उसे अद्यतन करने के लिए जिला समाहर्ता/मजिस्ट्रेट प्राधिकृत अधिकारी हैं। डाटा एकत्र करने के प्रपत्र संबद्ध विभागों/एजेंसियों को जिला समाहर्ता कार्यालय द्वारा वितरित किए जाते हैं। डाटा एंट्री जिला स्तर पर की जाती है जिसमें एनआईसी के जिला सूचना अधिकारियों की तकनीकी सेवाएं ली जाती हैं। (चित्र 5.2)



चित्र 5.2 : आईडीआरएन की कार्यप्रणाली दर्शाने वाला स्कीम चित्र

5.2 प्रलेखीकरण और प्रकाशन

सूचना को संसाधन माना जाता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक आस्ति के रूप में सूचना का मूल्य तभी बढ़ता जबकि इसका प्रभावी प्रबंधन किया जाए। एनआईडीएम का एक अधिदेश आपदा प्रबंधन और विकास संबंधी सूचना का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए निरंतर आधार पर प्रयास करना है ताकि संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श कार्यकलापों में सहायता की जा सके। एनआईडीएम पुस्तकालय द्वारा दी जा रही सेवाओं का उल्लेख नीचे किया गया है। 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक पुस्तकालय के आंकड़े अनुलग्नक-IV में संलग्न किए गए हैं।

कृपया एनआईडीएम लाइब्रेरी ओपीएसी : <http://nidm.bestbookbuddies.com> देखें।

- प्राप्ति कार्य
- संदर्भ और रेफरल कार्य
- परिचालन कार्य
- पत्रिका कार्य
- लाइब्रेरी ऑटोमेशन

5.3 एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस

प्रत्येक वर्ष एनआईडीएम अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षुओं का पूरा डाटाबेस ऑनलाइन रखा जाता है ताकि आपदा तैयारी के लिए इन प्रशिक्षुओं को ढूंढा जा सके। यह सूचना वर्ष 2009 से एनआईडीएम की वेबसाइट URL: <http://nidm.gov.in/trainee.asp> पर उपलब्ध है।

5.4 सूचना प्रसार

यह संस्थान आपदा और विकास संबंधी सूचना का प्रसार करता है। इस अधिदेश को पूरा करने के लिए यह संस्थान मासिक न्यूज़लेटर, शोध उपलब्धियों का विभिन्न पक्षों के संबंध में डीआरआर का प्रकाशन करता है। विभिन्न आपदाओं और उनके प्रबंधन पर सूचना और जागरूकता फैलाने के लिए एनआईडीएम विभिन्न जागरूकता कार्यकलापों और कार्यक्रमों के साथ आईईसी सामग्री नियमित रूप से जारी करता है। ये उपकरण एनआईडीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें <http://nidm.gov.in/iec.asp> पर उपलब्ध है। एनआईडीएम द्वारा तैयार की गई आईईसी सामग्री का प्रयोग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न हितधारकों द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है और इसके व्यापक प्रसार के लिए उसका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया जा सकता है।



5.4.1 न्यूज़लैटर

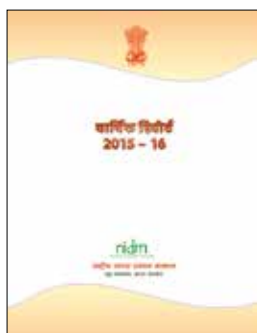
एनआईडीएम का न्यूज़लैटर “टाइडिंग्स” मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसमें एनआईडीएम द्वारा नियमित आधार पर किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं पर प्रकाश डाला जाता है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पहले से प्रचार भी किया जाता है। इस न्यूज़लैटर में विकास, सफलता की कहानी, दौरे और प्रतिनिधि मंडल आदि से संबंधित सूचना दी जाती है।
<http://nidm.gov.in/newsleter.asp>



5.4.2 एनआईडीएम की वार्षिक रिपोर्ट

क) एनआईडीएम की वार्षिक रिपोर्ट का सार-संग्रह : 2003-04 से 2011-12

एनआईडीएम ने 2003-04 से 2011-12 तक की वार्षिक रिपोर्टों का सार समेकित किया और इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया। इस सार संग्रह में उक्त अवधि के दौरान संस्थान के दृष्टिकोण, मिशन, अधिदेश, संरचना, कार्य और प्रमुख उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। यह रिपोर्ट 10 अध्यायों में है नामतः सिंहावलोकन, प्रशिक्षण, परियोजनाएं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयास, प्रलेखीकरण और प्रकाशन, वृहत्तर कार्यकलाप, प्रशासन और वित्त तथा लेखा और इसमें प्रशिक्षण, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण के प्रकार आदि के संबंध में कार्यकलापों और की गई प्रगति का भी विवरण है। ये उपलब्धियां भौगोलिक, वर्गीकरण और कालिक प्रवृत्तियां दर्शाने के लिए नक्शे, चार्ट और चित्रों के रूप में दर्शाई जाती हैं। वर्ष के दौरान वित्तीय और लेखा व्यय सहित नौ अनुलग्नक हैं।



ख) एनआईडीएम की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

एनआईडीएम ने 2015-16 की वार्षिक रिपोर्टों का सार समेकित किया और इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया। इस सार संग्रह में उक्त अवधि के दौरान संस्थान के दृष्टिकोण, मिशन, अधिदेश, संरचना, कार्य और प्रमुख उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। यह रिपोर्ट 10 अध्यायों में है नामतः सिंहावलोकन, प्रशिक्षण, परियोजनाएं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयास, प्रलेखीकरण और प्रकाशन, वृहत्तर कार्यकलाप, प्रशासन और वित्त तथा लेखा और इसमें प्रशिक्षण, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण के प्रकार आदि के संबंध में कार्यकलापों और की गई प्रगति का भी विवरण है। ये उपलब्धियां भौगोलिक, वर्गीकरण और कालिक प्रवृत्तियां दर्शाने के लिए नक्शे, चार्ट और चित्रों के रूप में दर्शाई जाती हैं। वर्ष के दौरान एनआईडीएम और परिसर से बाहर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत सूची, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और डीएमसी की सूची, शासी परिषद और एनआईडीएम के सदस्यों की सूची सहित पांच अनुलग्नक हैं।

* * * * *

अध्याय

6

प्रमुख कार्यक्रम/ कार्यशालाएं/ सम्मेलन/सेमिनार

अध्याय 6: कार्यशालाएं/सम्मेलन

6.1 डीआरएम में सांस्थानिक निर्णय प्रक्रिया का सुदृढीकरण : 16-18 फरवरी, 2018 के दौरान नई दिल्ली में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एससीडीआर की उच्च स्तरीय कार्यशाला



चित्र 1 : “आपदा तैयारी और राहत में सांस्थानिक निर्णय प्रक्रिया का सुदृढीकरण” पर जेएनयू परिसर, नई दिल्ली में 16-18 फरवरी, 2018 को आयोजित उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

जेएनयू परिसर में 16-18 फरवरी, 2018 के दौरान “आपदा तैयारी और राहत में सांस्थानिक निर्णय प्रक्रिया का सुदृढीकरण” विषय पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से विशेष आपदा शोध केंद्र की उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जिसमें एनआईडीएम के एसोसिएट प्रोफेसर डा. अनिल के. गुप्ता ने रिसोर्स पर्सन और डेलीगेट के रूप में भाग लिया तथा नीति और कानून की भूमिका, एसईए और ईआईए, आपदा के बाद क्षति और हानि मूल्यांकन तथा आपदा खतरे में कमी को मुख्य धारा से जोड़ने सहित आपदा प्रबंधन में नीतिपरक उपकरणों पर वक्तव्य दिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत में आपदा शोध के विषयक क्षेत्रों, मुद्दों और दायरे पर विचार-विमर्श करना था। एनआईडीएम

के प्रोफेसर डा. चंदन घोष ने भी विचार-विमर्श में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। इस कार्यशाला में एशिया पेसिफिक के अनेक देशों के प्रतिनिधि और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

6.2 आपदा खतरे कम करने पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म : 11-12 अप्रैल, 2017 को चेन्नई में “राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और आपदा खतरे (तैयारी, राहत और रिकवरी के लिए बढ़ती भागीदारी)” पर प्री-इवेंट



चित्र 2 : चेन्नई में 11-12 अप्रैल, 2017 को एनपीडीआरआर का प्री-इवेंट

एनआईडीएम ने भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) और यूनीसेफ के सहयोग से आगामी आपदा खतरे में कमी पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म (एनपीडीआरआर) के प्री-इवेंट के रूप में चेन्नई में 11-12 अप्रैल, 2017 के दौरान “जलवायु परिवर्तन और आपदा खतरे कम करना (तैयारी, राहत और रिकवरी के लिए बढ़ती भागीदारी) पर राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं, उद्योग अग्रणियों, द्वि/बहुपक्षीय तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज तथा संबद्ध एजेंसियों को एक साथ प्लेटफार्म पर लाना था। इस कार्यशाला का संयोजन एनआईडीएम की ओर से डा. आमिर अली खान ने किया। प्रो. संतोष कुमार, ईडी, एनआईडीएम ने भी

भाग लिया और वक्तव्य प्रस्तुत किया तथा पैनल चर्चा में भाग लिया। डा. आमिर अली खान ने कार्यशाला के दौरान एक प्रेजेंटेशन भी दी। इस कार्यशाला में उद्योग जगत, सरकारी एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 345 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6.3 एनआईडीएम और यूनीसेफ द्वारा आपदा खतरे कम करने के लिए राष्ट्रीय प्लेटफार्म की दूसरी बैठक से पूर्व “कर्टेन रेज़र इवेंट” के रूप में 17 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में “विद्यालय सुरक्षा और बचाव की समीक्षा” पर आधे दिन के विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया।



चित्र 3 : 17 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में एनपीडीआरआर प्री-इवेंट

एनआईडीएम ने यूनीसेफ के सहयोग से आपदा खतरे को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्लेटफार्म की दूसरी बैठक से पूर्व “कर्टेन रेज़र इवेंट” के रूप में 17 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में “विद्यालय सुरक्षा और बचाव की समीक्षा” पर आधे दिन के विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में एनडीएमए, एनआईडीएम, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एनईयूपीए, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, राज्य सरकारों, यूनीसेफ, गैर-सरकारी संगठनों और विषय वस्तु के विशेषज्ञों ने भाग लिया। एनआईडीएम से डा. रितु राज ने इस सत्र में समन्वय किया।

6.4 आपदा खतरे कम करने पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म : 20 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में “सोशली इंकलूसिव डीआरआर-लीव-नो-वन बिहाइंड” पर प्री-इवेंट

एनआईडीएम और स्फियर इंडिया द्वारा 20 अप्रैल, 2017 को इंडिया हेबीटेड सेंटर, नई दिल्ली में एक दिवसीय विचार विमर्श “सोशली इंकलूसिव डीआरआर-लीव-नो-वन बिहाइंड” का आयोजन किया गया। समावेशन मुद्दों पर कार्य करने वाले विभिन्न सिविल समाज संगठनों जैसे रेड क्रॉस, केरिटास, हैंडीकैप इंटरनेशनल, ईएफआईसीओआर, वर्ल्ड विजन आदि के प्रतिनिधियों ने स्फियर हैंडबुक के सामाजिक समावेशन और संरक्षण मानकों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस सत्र में भाग लिया। प्रतिभागियों ने भारतीय संदर्भ में सामाजिक रूप से समावेशित डीआरआर के संस्थानीकरण पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं और न्यूनतम मानकों की स्फियर हैंडबुक के आगामी अंक में सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का सुझाव दिया। डा. चंद्राणी बंधोपाध्याय, सहायक प्रोफेसर ने समन्वय किया। प्रो. संतोष कुमार ने भी संबोधन किया।



चित्र 4 : 20 अप्रैल, 2017, नई दिल्ली में एनपीडीआरआर प्री-इवेंट

6.5 आपदा के खतरे कम करने पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म 24 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित “मल्टी-हज़ार्ड कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग-लीव-नो-वन बिहाइंड” पर प्री-इवेंट

एनआईडीएम ने स्फियर इंडिया के सहयोग से 24 अप्रैल, 2017 को इंडिया हेबीटेड सेंटर, नई दिल्ली में आपदा के खतरे कम करने पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म के प्री-इवेंट के रूप में “मल्टी-हज़ार्ड कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग-लीव-नो-वन-बिहाइंड” शीर्षक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य समुदायों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न स्तरों



चित्र 5 : 24 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में आपदा खतरे कम करने पर राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का प्री-इवेंट

पर किए गए प्रयासों के संबंध में प्रतिभागियों को जानकारी देना और जागरूक समुदाय बनाने के लिए समुदाय के विभिन्न घटकों पर आधारित डीआरआर आयोजना का समाधान करना था। इस कार्यशाला में सरकारी, गैर-सरकारी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समुदाय अग्रणियों, और बच्चों सहित 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डा. अजिंदर वालिया, सहायक प्रोफेसर ने कार्यशाला का समन्वय किया। प्रो. संतोष कुमार, एनआईडीएम की कार्यशाला में सहभागी थे।

6.6 राज्यों और संघ प्रदेशों के रेजीडेंट आयुक्तों के लिए नई दिल्ली में 08 मई, 2017 को “आपदा के खतरे कम करने के लिए आपदा प्रबंधन और चुनौतियों की जानकारी” पर कार्यक्रम

एनआईडीएम ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के रेजीडेंट आयुक्तों के अनुरोध पर 8 मई, 2017 को इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में “आपदा के खतरे कम करने के लिए आपदा प्रबंधन और चुनौतियों की जानकारी” पर प्री-इवेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री आर. के. जैन, सदस्य एनडीएमए ने किया और उद्घाटन सत्र में श्री संजीव जिंदल, संयुक्त सचिव (डीएम), गृह मंत्रालय उपस्थित थे। आपात स्थिति में सभी हितधारकों के साथ समन्वय करने तथा प्रतिक्रिया एजेंसियों के साथ संपर्क करने में रेजीडेंट आयुक्तों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के अंत में सहभागियों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की और अनुरोध किया कि महत्वपूर्ण हितधारकों जैसे रेजीडेंट आयुक्तों के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विकास की अद्यतन जानकारी देते हुए ऐसे सत्रों का आगे भी आयोजन किया जाए।

इस कार्यक्रम का आयोजन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के रेजीडेंट आयुक्तों के अनुरोध पर किया गया था। इसमें आपात स्थिति के दौरान सभी हितधारकों के साथ समन्वय और प्रतिक्रिया एजेंसियों के साथ संपर्क करने में “रेजीडेंट आयुक्तों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्रो. संतोष कुमार ने कार्यशाला का समन्वय किया। श्री कमल किशोर, सदस्य एनडीएमए, श्री जेम्स गीतो, उप प्रतिनिधि, यूनीसेफ, श्री टी.टी. अशोक, पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई, दक्षिण क्षेत्र, डा. सत्यगोपाल, प्रधान सचिव/आयुक्त राजस्व प्रशासन मुख्य रिसोर्स पर्सन थे।

6.7 11 मई, 2017 को एनआईडीएम, नई दिल्ली में जोखिम और संसाधन योजना - डीआईएस और डाटाबेस की भूमिका

एनआईडीएम ने जोखिम और संसाधन योजना जीआईएस और डाटाबेस की भूमिका पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के उद्देश्य थे -

- आपदा खतरे/और संवेदनशीलता के छिपे हुए कारणों और आपदा खतरे को समझने के लिए उनके मूल्यांकन हेतु संबद्ध उपकरणों और सूचकांकों का पता लगाना,
- जलवायु और आपदा खतरों का पता लगाने के लिए वर्तमान स्थिति और अवसरों पर करना तथा विकास आयोग और वस्तु एवं सेवा सप्लाई-चेन प्रबंधन के संबंध में ऐसे खतरों के विरुद्ध जागरूकता के लिए संसाधनों की समीक्षा करना,
- डाटाबेस प्रणालियों-विकास में योजना सुरक्षा और जागरूकता के लिए डाटा जरूरतों, संसाधनों, डाटाबेस समन्वय, रिपोर्टिंग तंत्र की वर्तमान और भावी संभावनाओं की समीक्षा करना,
- भारत में डाटाबेस प्रबंधन के प्रभावी तंत्र की जांच और सिफारिश करना जिसमें आपदा जागरूकता और व्यापार जारी रहने के विभिन्न पक्षों से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर खतरे की संवेदनशीलता और संबद्ध संसाधनों की योजना बनाने पर विशेष बल दिया गया।

6.8 लगातार सूखा का सामना करना : “खतरा कम करना और महिलाओं व बच्चों में जागरूकता बढ़ाना” पर विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश में 8-9 जून, 2017 के दौरान कार्यशाला



चित्र 6 : विजयवाड़ा में 8-9 जून, 2017 को आयोजित एनपीडीआरआर की दूसरी बैठक का पोस्ट-इवेंट

आपदा जोखिम में कमी पर दूसरे राष्ट्रीय प्लेटफार्म के एक पोस्ट-इवेंट ने विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में जोखिम कम करने के उपायों को एकीकृत करके राज्य स्तर पर आपदा जोखिम में कमी को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के समन्वयन में सुधार द्वारा योगदान दिया। जिसमें अधिकांश आबादी के लिए सुस्थिर विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक संवेदनशील पर जोर दिया गया। विचार-विमर्श का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य मैनुअल तैयार करके या संशोधित करके राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन मैनुअल जारी करना और राज्य व जिला स्तर पर अकाल के खतरे के लिए तैयारी करने और राहत के लिए एसओपी और विशिष्ट दिशा-निर्देशों के प्रयोग पर प्रकाश डालना था।

प्रो. संतोष कुमार, ईडी (आई/सी) एनआईडीएम और डा. सूर्य प्रकाश, प्रमुख आई/सी मौसम व जलीय खतरा प्रभाग, एनआईडीएम, तथा प्रमुख ज्ञान प्रबंधन एवं संचार प्रभाग ने यूनीसेफ से आए श्री लार्स बर्ड और श्री महेंद्र राजाराम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया। इस विचार-विमर्श सत्र के पांच विशिष्ट उद्देश्य थे :-

- सूखा मूल्यांकन के निष्कर्ष साझा करना और पिछले वर्षों में लगातार सूखा और सूखा जैसी स्थिति के सर्वाधिक संवेदनशील, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव दर्शाना।

2. सूखा में राहत और इसके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे और प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे व्यवहारों तथा विकल्पों का प्रदर्शन करना।
3. सूखा में राहत और इसके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे और प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे व्यवहारों और विकल्पों के प्रदर्शन के साथ-साथ वर्तमान जोखिम प्रबंधन व्यवहारों में चुनौतियों और कमियों पर चर्चा।
4. राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन मैनुअल, 2016 के संशोधित प्रावधानों की मुख्य बातें साझा करना और इसे सूखा खतरे में कमी योजनाओं/कार्यक्रमों में शामिल करने की सिफारिश करना।
5. राज्य सूखा मैनुअल के संशोधन में संबंधित प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता को कैसे कम किया जाए, इसकी सिफारिश के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं, मानक परिचालन प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए अन्य तंत्र से संबंधित पक्षों के कार्यान्वयन की अधिसूचना।

इस विचार-विमर्श सत्र में प्रमुख आपदा प्रबंधन प्रतिनिधि और संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, वित्तीय संस्थान, नागरिक समाज संगठन, समुदाय आधारित समूह, अवयस्क बच्चे, युवा और शिक्षाविद् एक साथ आए जिसमें शोध विचारक मंडल, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के साथ-साथ यूएन एजेंसियां और मीडिया प्रतिनिधि भी शामिल थे।

1. इस सत्र से विभिन्न हितधारकों (दक्षिणी राज्यों के राइट होल्डर और ड्यूटी धारक) जो लगातार पिछले कई वर्षों से सूखा और अत्यधिक विपरीत जलवायु स्थितियों का सामना कर रहे हैं, को मदद मिली। सहभागी राज्यों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल समाज संगठनों, तकनीकी एजेंसियों और बच्चों ने हमेशा चरम पर रहने वाली परेशानियों के साथ समुदाय और राज्य कैसे निपट रहे हैं, के संबंध में अपने अनुभव साझा किए और साथ ही सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा सूखे से निपटने के लिए और राहत उपायों के संबंध में प्रकाश डाला। इस विचार-विमर्श से इन समुदायों द्वारा झेली जा रही सूखे की तीव्रता और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का लाभ उठाने में प्रशासनिक अवरोधों के कारण उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में पता चला।
2. सूखा कार्यक्रम की राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया और इस सत्र के दौरान प्राप्त की गई जानकारी को बच्चों और महिलाओं के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन ढांचे में परिवर्तित किया जा रहा है।
3. एनआईडीएम और यूनिसेफ ने बच्चों पर केंद्रित आपदा खतरों में कमी (सीसीडीआरआर) को मुख्य धारा के कार्यक्रमों और केंद्र तथा राज्य स्तर पर नीतियों के साथ एकीकृत करने पर सहमति दी जिसके लिए एनआईडीएम दक्षिण केंद्र, विजयवाड़ा में सीसीडीआरआर की स्थापना की गई। एनआईडीएम ने साउथ कैंपस में यूनिसेफ की सहायता से एक केंद्र स्थापित करने हेतु सहमति दी।

4. डाटा के महत्व पर विचार किया गया और यह भी चर्चा की गई कि वैज्ञानिक संस्थान कैसे बेहतर आयोजना के लिए डाटा को समझने में आम लोगों की मदद कर सकते हैं।
5. एनआईडीएम अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य सूखा प्रबंधन मैनुअल को संशोधित करने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं, मानक परिचालन प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए अन्य तंत्र से संबंधित पक्षों के कार्यान्वयन की अधिसूचना लाने और संबंधित नीति प्रावधानों द्वारा महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता कम करने में राज्यों का दिशानिर्देशन किया जा सकेगा।
6. इस विचार-विमर्श में सूखा प्रबंधन के लिए एक बहु-वर्षीय दृष्टिकोण अपनाने, दीर्घ-कालिक जोखिम में कमी के लिए राहत केंद्रित दृष्टिकोण से अलग हटने और जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
7. भाग लेने वाले बच्चों में सामाजिक दायरे में वंचित बच्चों के बहु-आयामी, बहु-स्तरीय प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित किया। अतः पंचायत से लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर विकास के प्रत्येक स्तर पर एक अधिक तर्क संगत जोखिम संवेदनशील कार्यक्रम आवश्यक है।

6.9 नई दिल्ली में 20 जून, 2017 को भारत में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और संस्थानीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 20 जून, 2017 को भारत में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और संस्थानीकरण पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत में आईआरएस के संस्थानीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था और इसमें अधिक से अधिक राज्यों को किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आईआरएस अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया।



चित्र 7 : नई दिल्ली में 20 जून, 2017 को आयोजित भारत में आपात प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) का संस्थानीकरण

कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे।

- i. आईआरएस के कार्यान्वयन में अनेक राज्यों के सामने आने वाली बाधाओं का विश्लेषण,
- ii. आईआरएस के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं का समाधान करने के लिए राज्यों को उपायों का सुझाव देना और उनकी मदद करना, और
- iii. जिन राज्यों ने किसी आपात स्थिति से निपटने के उपाय के रूप में आईआरएस को अपनाया है, उनके अनुभवों को साझा करना।

इस पूरी कार्यशाला में उद्घाटन और विदाई भाषण के साथ-साथ निम्नलिखित तीन तकनीकी सत्र और ओपन हाउस विचार-विमर्श थे :

1. तकनीकी सत्र-I : भारत में आईआरएस सांस्थानिकरण - स्थिति, संभावना, समस्याएं और चुनौतियां
2. तकनीकी सत्र-II : आईआरएस प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम - स्थिति, संभावना, समस्याएं और चुनौतियां
3. तकनीकी सत्र-III : भविष्य की संभावनाएं

इस सत्र में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तैयार करने की नीति, सांस्थानिकरण की स्थिति, अधिसूचना स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों, आईआरएस के प्रशिक्षकों, इस फील्ड में विशेषज्ञों तथा यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विस और यूएसएआईडी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन ले. जनरल एन.सी. मारवाह (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए ने किया और इसमें डीजी एनडीआरएफ संयुक्त सचिव (डीएम), गृह मंत्रालय ने समाप्ति संबोधन किया। इस कार्यशाला के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे :

1. आईआरएस ओर राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के भाग के रूप में शामिल करने के लिए भारत में आईआरएस सांस्थानिकरण की रूपरेखा तैयार करना।
2. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कुछ पहचाने गए गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षक के रूप में तैयार करना ताकि इस फील्ड में प्रशिक्षकों की उपलब्धता और आईआरएस प्रशिक्षण तैयार और सुदृढ़ किया जा सके।
3. आईआरएस कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों और उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आईआरएस अपनाने वाले हितधारकों के साथ नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जाए (प्रारंभ में वर्ष में कम से कम एक बार)।
4. वृहत्तर सेवाकाल को देखते हुए प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आईआरएस प्रशिक्षण के लिए युवा अधिकारियों को नामित किया जाए।
5. प्रशिक्षण सहायता सामग्री जैसे मामला अध्ययन, फिल्म आदि तैयार की जाए और इसका प्रयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जाए।
6. घटनाओं/आपातकाल में आईआरएस के कार्यान्वयन के अच्छे व्यवहारों को साझा कर सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाए ताकि इससे आईआरएस की कार्यकुशलता दर्शायी जा सके।

6.10 एनआईडीएम संयुक्त निदेशक ने कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) में 4-23 अगस्त, 2017 के दौरान आयोजित इंसिडेंट कमांड सिस्टम (आईसीएस) में भाग लिया



श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) में 4-23 अगस्त, 2017 के दौरान आयोजित इंसिडेंट कमांड सिस्टम (आईसीएस) में भाग लेने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया गया। इस सेमिनार से भागीदारों को यूएसए में सभी सरकारी स्तरों पर आपदा प्रबंधन में प्रयोग किए जा रहे आईसीएस को गहनता से समझने का अवसर मिला जिसमें विचार-विमर्श, स्थल दौरे और यूएस प्रणालियों की उपयोगिता की जांच और उन्हें अपने-अपने देशों में कैसे लागू किया जाए, इस पर विचार किया गया।

चित्र 8 : श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम कैलिफोर्निया (यूएसए) में 4-23 अगस्त, 2017 के दौरान व्याख्यान देते हुए।

अध्याय

7

वित्त और लेखा

अध्याय 7: वित्त और लेखा

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में बजट बनाना, लेखांकन, प्राप्तियों और भुगतान का प्रबंधन, वार्षिक लेखा तैयार करना और समेकित करना तथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय परामर्श भी देता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा एनआईडीएम को 7,86,78,721/- रुपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई और पूर्व वित्तीय वर्ष से खर्च न किया गया अनुदान शेष 4,13,21,279/27 रुपये था।

- 9,45,85,979/86 रुपये का प्रयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया जिनके लिए ये स्वीकृत किए गए थे और
- वित्तीय वर्ष के अंत में 2,54,14,020/41 रुपये शेष रहे जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान देय अनुदान सहायता के प्रति समायोजित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस संस्थान की लेखा परीक्षित रिपोर्ट के साथ बैलेंस शीट **अनुबंध-V** में दी गई है।

अध्याय

8

अनुबंध

अध्याय 8: अनुबंध

अनुबंध की सूची

8.1	अनुबंध-I	:	संस्थान के सदस्यों की सूची
8.2	अनुबंध-II	:	संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची
8.3	अनुबंध-III	:	एनआईडीएम में आयोजित आमने-सामने प्रशिक्षण की सूची (टीओटी, राष्ट्रीय/राज्य/अंतर्राष्ट्रीय) तथा ऑनलाइन
8.4	अनुबंध-IV	:	पुस्तकालय स्टॉक सत्यापन का सारांश
8.5	अनुबंध-V	:	लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ बैलेंसशीट

8.1 अनुबंध-I : संस्थान के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य	
1.	माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 001	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रामा सेंटर, एम्स, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रामा सेंटर, एम्स, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
4.	केंद्रीय गृह सचिव, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
5.	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	सचिव, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
8.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
9.	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली	सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	
10.	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
11.	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
12.	सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003	सदस्य
13.	सचिव (सीमा प्रबंधन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
14.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
15.	सचिव/अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रामा सेंटर, एम्स, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
16.	महानिदेशक, सिविल डिफेंस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, पूर्वी ब्लॉक-7, स्तर-7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66	सदस्य
17.	एकीकृत रक्षा स्टाफ के उपाध्यक्ष, सिद्धांत संगठन और प्रशिक्षण (डीओटी), आईडीएस, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी, 23 साउथ हटमेंट्स, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110 001	सदस्य
18.	सचिव (आपदा प्रबंधन), गुजरात सरकार, राजस्व विभाग, ब्लॉक-11, 3 तल, नई सचिवालय, गांधीनगर-382 010	सदस्य
19.	सचिव (आपदा प्रबंधन) आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना-800 015	सदस्य
20.	उप-कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110 006	सदस्य
21.	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मसूरी-248 179	सदस्य
22.	निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, शिवरामपली, हैदराबाद-500 052	सदस्य
23.	महानिदेशक, भारत मौसम विभाग, मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
24.	निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, जोका, डीएच रोड, कोलकाता-700 104	सदस्य
25.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की उत्तराखंड	सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	
26.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
27.	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
28.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
29.	महानिदेशक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500 030	सदस्य
30.	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वी. रामलिंगस्वामी भवन अंसारी नगर, नई दिल्ली-110 029	सदस्य
31.	अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग, 159 श्रद्धा कुंज, वसंत विहार, चकराता रोड, देहरादून	सदस्य
32.	राष्ट्रीय भूकंपी सलाहकार, गृह मंत्रालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
33.	सीएमडी, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन, सुरक्षा, जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020	सदस्य
34.	सीएमडी, इलाहाबाद बैंक, हेड ऑफिस, 2, एन एस रोड, कोलकाता-700 001	सदस्य
35.	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली	सदस्य
36.	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीएम), कोर 4-ए, चौथा तल, इंडिया हेबीटेड सेंटर लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110 003	सदस्य
37.	निदेशक, ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट, 411, सैकर पांच, नहराज सिनेमा के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9	सदस्य
38.	महासचिव, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, 1 रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली	सदस्य
39.	निदेशक, राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान, उपल रोड, हैदराबाद-500007	सदस्य
40.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
41.	प्रोफेसर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आईआईपीए कैपस, आईपी एस्टेट, महात्मा गांधी रोड, नई दिल्ली-110 002	सदस्य
42.	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आईआईपीए कैपस, आईपी एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 002	सदस्य सचिव

8.2 अनुबंध-II: एनआईडीएम के शासी निकाय सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम पता	
1.	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रामा सेंटर, एम्स, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	अपर सचिव, (विदेश) और आपदा प्रबंधन के प्रभारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
4.	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ट्रामा सेंटर, एम्स, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
8.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, 315, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
11.	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, डायमंड हार्बर रोड, पीओ जोका, कोलकाता-701 104	सदस्य
12.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की-267 667, उत्तराखंड	सदस्य सचिव
13.	निदेशक, राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान, उपल रोड, हैदराबाद-500 007	सदस्य
14.	उप-कुलपति, गुरु गोबिंद इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर-16 सी, द्वारका, दिल्ली-110 078	सदस्य
15.	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, 5वीं, आईपी एस्टेट, आईआईपीए कैम्पस, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 002	सदस्य सचिव

8.3 अनुबंध-III : 2017-18 के दौरान एनआईडीएम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तारीख	पाठ्यक्रम संकाय	भाग लेने वालों की संख्या
1.	सूखा खतरे में राहत पर टीओटी	एनआईडीएम	1-5 मई, 2017	सूर्य प्रकाश	21
2.	आपदा खतरे में कमी को होमगार्ड और नागरिक रक्षा क्षेत्र से जोड़ना	पटना, बिहार	17-19 मई, 2017	पी.के. पाठक एस. चतुर्वेदी	30
3.	भूकंपरोधी निर्माण व्यवहार और भवन निर्माण संहिता	एचआईपीए, हिमाचल प्रदेश	22-26 मई, 2017	सी. घोष आमिर अली खान	28
4.	सूखा मूल्यांकन	एटीआई, पश्चिम बंगाल	22-26 मई, 2017	सूर्य प्रकाश	30
5.	मूल आपदा प्रबंधन	वायु सेना मुख्यालय, दिल्ली	23-25 मई, 2017	एस. चतुर्वेदी पी.के. पाठक	30
6.	व्यापक आपदा प्रबंधन पर टीओटी	एटीआई, छत्तीसगढ़	29 मई-02 जून, 2017	एस. चतुर्वेदी सी. बंदोपाध्याय	30
7.	आईआरएस: मूल और अंतरवर्ती	एनआईडीएम	5-9 जून, 2017	पी.के. पाठक	30
8.	नगर बाढ़: चुनौतियां और राहत उपाय	एनसीआरएचआरडी संस्थान, तेलंगाना	28-30 जून, 2017	सी. बंदोपाध्याय एस. चतुर्वेदी	30
9.	चक्रवात और बाढ़ राहत के लिए जलवायु जागरूकता विकास	एपी एसडीएमए	4 जुलाई, 2017	अनिल के. गुप्ता ए.डी. कौशिक	45
10.	चक्रवात और बाढ़ राहत के लिए जलवायु जागरूकता विकास	एपी एसडीएमए	5 जुलाई, 2017	अनिल के गुप्ता ए.डी. कौशिक	31
11.	चक्रवात और बाढ़ राहत के लिए जलवायु जागरूकता विकास	एपी एसडीएमए	6 जुलाई, 2017	अनिल के. गुप्ता ए.डी. कौशिक	30
12.	आपदा खतरे में कमी के लिए ज्ञान प्रबंधन	एचसीएमआरआईपीए, राजस्थान	10-14 जुलाई, 2017	सूर्य प्रकाश	26
13.	केंद्रीय मंत्रालयों के लिए आपदा प्रबंधन प्लान	एनआईडीएम	17-19 जुलाई, 2017	अनिल के. गुप्ता	29
14.	जानकारी और सूचना के माध्यम से डीआरआर को मुख्य धारा में जोड़ने पर टीओटी	एनआईडीएम	24-28 जुलाई, 2017	रितु राज	25

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तारीख	पाठ्यक्रम संकाय	भाग लेने वालों की संख्या
15.	डीआरआर को नकद डीएम प्लानों के साथ जोड़ने पर टीओटी	टीएनडीएम एजेंसी, तमिलनाडु	3-5 अगस्त, 2017	सी. बंधोपाध्याय	49
16.	सीबीडीआरएम	एमजीएसआईपीए, पंजाब	7-11 अगस्त, 2017	अजिन्द्र वालिया, ए.डी. कौशिक	46
17.	भूस्खलन खतरे में राहत पर टीओटी	एटीआई, कर्नाटक	28 अगस्त-01 सितंबर, 2017	सूर्य प्रकाश	18
18.	एनसीसी के लिए आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	28 अगस्त-01 सितंबर, 2017	अजिन्द्र वालिया	30
19.	आईआरएस: योजना अनुभाग प्रमुख	एनआईडीएम	4-8 सितंबर, 2017	संतोष कुमार	22
20.	भूकंप खतरे से राहत: सुरक्षित निर्मित परिवेश	दमन	6-8 सितंबर, 2017	सी. घोष आमिर अली खान	57
21.	डीआरआर को पीआरआई सैक्टर के साथ जोड़ने पर टीओटी	डीडीयूएसआईआरडी, उत्तर प्रदेश	11-15 सितंबर, 2017	एस. चतुर्वेदी सी. बंधोपाध्याय	30
22.	सिविल डिफेंस के लिए आपदा प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	18-22 सितंबर, 2017	सुषमा गुलेरिया	17
23.	आपदा मनोवैज्ञानिक सामाजिक मुद्दों पर टीओटी	कश्मीर विश्वविद्यालय	25-29 सितंबर, 2017	अजिन्द्र वालिया आमिर अली खान	32
24.	रसायन (औद्योगिक) आपातस्थिति: ऑनसाइड और ऑफसाइड जोखिम विश्लेषण, योजना और तैयारी	दादरा और नगर हवेली	25-29 सितंबर, 2017	अनिल के. गुप्ता सुषमा गुलेरिया	48
25.	विद्यालय सुरक्षा पर टीओटी	डीएमएमसी, उत्तराखंड	3-6 अक्टूबर, 2017	रितु राज ए.डी. कौशिक	25
26.	आरबीएस पर टीओटी: सुरक्षित निर्माण	एसडीएमए, मेघालय	24-26 अक्टूबर, 2017	सी. घोष आमिर अली खान	75
27.	सांस्कृतिक विरासत जोखिम प्रबंधन	वाईएसएसएचएडीए, महाराष्ट्र	30 अक्टूबर-01 नवंबर, 2017	संतोष कुमार सी. बंधोपाध्याय	27

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तारीख	पाठ्यक्रम संकाय	भाग लेने वालों की संख्या
28.	विद्यालय आपदा प्रबंधन प्लान और सुरक्षा समीक्षा	बीआईपीएआडी, बिहार	1-3 नवंबर, 2017	रितु राज	29
29.	भूस्खलन खतरे के प्रबंधन पर टीओटी	डॉ. आरएसटीयूएओए, उत्तराखंड	14-18 नवंबर, 2017	सूर्य प्रकाश	34
30.	ग्रामीण विकास क्षेत्र में डीआरआर को जोड़ने पर टीओटी	एनआईडीएम	20-24 नवंबर, 2017	सुषमा गुलेरिया	13
31.	विद्यालय सुरक्षा प्लान और सुरक्षा समीक्षा	केएनडीएमसी, कर्नाटक	27-29 नवंबर, 2017	रितु राज अजिन्द्र वालिया	31
32.	सांस्कृतिक विरासत जोखिम प्रबंधन	एसडीएमए, सिक्किम	11-13 दिसंबर, 2017	सी. बंधोपाध्याय	36
33.	असाधारण जलवायु स्थितियां	एनआईडीएम	18-22 दिसंबर, 2017	अनिल के. गुप्ता	38
34.	आपात संचार: मुद्दे और प्रबंधन	जीआईडीएम, गुजरात	27-29 दिसंबर, 2017	सूर्यप्रकाश	41
35.	जानकारी और ज्ञान के माध्यम से सुरक्षा संस्कृति पर टीओटी	एनआईडीएम	15-19 जनवरी, 2018	रितु राज	41
36.	सूखा मूल्यांकन	एनआईडीएम	29 जनवरी-02 फरवरी, 2018	सूर्य प्रकाश	28
37.	आपदाओं में मनोवैज्ञानिक - सामाजिक देखभाल	एनआईडीएम, साउथ कैपस	05-09 फरवरी, 2018	अजिन्द्र वालिया	21
38.	तटीय समुदाय जागरूकता	एनआईडीएम, साउथ कैपस	07-09 फरवरी, 2018	सुषमा गुलेरिया	15
39.	बाढ़ के खतरे का प्रबंधन	एनआईडीएम	19-23 फरवरी, 2018	ए.डी. कौशिक	19
40.	भूकंप में राहत और भवन निर्माण संहिता	एनआईडीएम, साउथ कैपस	5-9 मार्च, 2018	सी. घोष आमिर अली खान	25

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तारीख	पाठ्यक्रम संकाय	भाग लेने वालों की संख्या
41.	वन अग्नि राहत को शामिल करते हुए वन क्षेत्र में डीआरआर को जोड़ना	एनआईडीएम	5-9 मार्च, 2018	ए.डी. कौशिक अनिल के. गुप्ता	12
42.	आईआरएस: इन्सिडेंट कमांडर, आपरेशन सेक्शन चीफ एंड लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ	एनआईडीएम, साउथ कैम्पस	5-16 मार्च, 2018	संतोष कुमार	10
43.	अस्पताल आपदा प्रबंधन प्लान पर टीओटी	एनआईडीएम	12-16 मार्च, 2018	आमिर अली खान	26
44.	भीड़भाड़ का प्रबंधन: भगदड़ के खतरे कम करना	एनआईडीएम, साउथ कैम्पस	12-16 मार्च, 2018	एस. चतुर्वेदी	28
45.	आपदा और इसके प्रबंधन के दौरान प्रभावी संचार में चुनौतियां	एनआईडीएम	19-23 मार्च, 2018	सूर्य प्रकाश	36
46.	पीडीएनए को कवर करते हुए पर्यावरण क्षेत्र में डीआरआर को जोड़ना	एनआईडीएम	19-23 मार्च, 2018	अनिल के. गुप्ता	19
				कुल	1393

वर्ष 2017-18 के दौरान चलाए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1.	व्यापक आपदा प्रबंधन ढांचा	11 सितंबर-22 अक्टूबर	45
2.	व्यापक आपदा प्रबंधन ढांचा	25 सितंबर-05 नवंबर	34
3.	व्यापक आपदा प्रबंधन ढांचा	09 अक्टूबर-19 नवंबर	35
		कुल	114

8.4 अनुबंध-IV: एनआईडीएम पुस्तकालय के स्टॉक सत्यापन का सारांश

एनसीडीएम/एनआईडीएम संग्रह

भाग-1

क्र.सं.	विषय सूची	कुल
1.	31.03.2017 तक कुल स्टॉक (पुस्तकें)	2157
2.	31.03.2017 तक कुल स्टॉक (जिल्दबंद पुस्तकें)	193
3.	वर्ष के दौरान खरीदी गई कुल पुस्तकें	9
4.	खरीदी गई पत्रिकाएं (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)	6
5.	खरीदी गई पत्रिकाओं की संख्या	16
6.	खरीदे गए समाचार पत्रों की संख्या	10

भाग-2

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम	मात्रा
1.	एनआईडीएम प्रकाशन और अन्य पठन सामग्री	कुल शेष: 1300
2.	आईईसी सामग्री	कुल शेष: 900

8.5 अनुबंध-V: लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ बैलेंसशीट

Vipin Aggarwal Kudsia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS



150-A, DDA Flats, Shahpur Jat,
New Delhi - 110049
Tel. / Fax : 011-26492207/08
email : welcome@vakaassociates.com

सेवा में,
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
नई दिल्ली।

- हमने **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान** के 31 मार्च, 2018 तक के संलग्न तुलनपत्र सहित द्वितीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते (नकद आधार पर बनाए गए) और प्राप्त और भुगतान खाता भी शामिल है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश इसके साथ जोड़ा गया है।

2 वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसमें प्रस्तुत विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। प्रस्तुत वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले तथा इनमें कोई मिथ्या कथन नहीं है, वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के आधार पर लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का निष्पादन करने के लिए चित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण में कोई मिथ्या कथन नहीं है।

एक ऑडिट में वित्तीय विवरणों के बारे में लेखों और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल है, वह चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो उन जोखिम आकलनों को बनाने में, लेखा परीक्षक ऑडिटी की तैयारी और वित्तीय वक्तव्यों के उचित प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण को मानता है ताकि परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिटिंग प्रक्रिया की जा सके, लेकिन इसमें इकाई की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं है। आंतरिक नियंत्रण, एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उचितता, साथ ही वित्तीय कर्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षक राय प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त विवरण प्राप्त किया है। इस संस्थान के प्रबंधन ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों का अनुपालन नहीं किया है। प्रबंधन ने वित्तीय विवरण की प्राप्ति आधार अपनाया है परंतु वर्ष 20.07.2018 के लिए लेखापरीक्षा फीस और मार्च, 2018 माह के लिए वेतन की गणना नहीं की है जिसके कारण प्राप्ति संकल्पना नीति और टीडीएस प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

स्रोत पर कर के रूप में में काटी गई 2,53,67,3.65 रुपए की राशि लंबे समय से बही में दर्ज है और वसूली योग्य नहीं है।

4. अभिमत

हमने विचार में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रीति में सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन 'सिद्धांतों के अनुरूप होने की उपर्युक्त योग्यता को छोड़कर सही और निष्पक्ष है'

- (i) बैलेंस शीट के मामले में संस्थान की स्थिति 31 मार्च, 2018 के अनुसार है:
- (ii) आय और व्यय विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय आय से अधिक है: और
- (iii) प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की प्राप्तियों और भुगतान लेखा के लिए

हम सूचित करते हैं कि :

1. हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में; जहां तक लेखाबही की जांच से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा लेखाबही कानून द्वारा यथापेक्षित ढंग से रखी गई है;
3. इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट और आय व्यय का लेखा बही के अनुसार है।

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजि. सं. 009771एन)

अनुपमा गोयल
पार्टनर
एम. नं. 046053

नई दिल्ली
14 अगस्त, 2018

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

31 मार्च, 2018 तक की बैलेंस शीट

विशिष्टियां	अनुसूची	31.03.2018	31.03.2017
		राशि	राशि
		रूपए	रूपए
संकाय/पूंजी कोष और देयताएं			
आरक्षिती और अधिशेष	2	230,795,770.52	112,784,532.38
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	27,107,987.00	62,726,339.27
कुल		257,903,757.52	175,510,871.65
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	4	110,910,395.00	68,082,544.00
निवेश	5	143,254,472.00	105,499,000.00
वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	6	3,738,890.52	1,929,327.65
कुल		257,903,757.52	175,510,871.65
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पण			
विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स		राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स			
फर्म रजि. सं. 009771एन			
अनुपमा गोयल		बी.एच. अनिल कुमार	एस. एस. बिष्ट
पार्टनर		(कार्यकारी निदेशक)	
एम. नं. 046053			
स्थान: नई दिल्ली			
तारीख:			

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

31 मार्च, 2018 तक का आय-व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

विशिष्टियां	अनुसूची	31.03.2018	31.03.2017
		रुपए	रुपए
आय/(गृह मंत्रालय) से अनुदान			
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता	7	78,678,721.00	75,000,000.00
कुल क		78,678,721.00	75,000,000.00
व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)			
स्थापना व्यय	8	35,189,548.000	37,287,386.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	9	30,448,006.86	28,641,472.73
प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	10	26,714,270.00	11,225,458.00
अवमूल्यन	4	439,760,000	948,154.00
कुल ख		92,791,584.86	78,102,470.73
पूर्व अवधि और असाधारण मदों से पहले गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने के कारण शेष राशि		(14,112,863.86)	(3,102,470.73)
घाटा: पूर्व अवधि व्यय		2,231,038.00	
गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने पर शेष		(16,343,901.86)	(3,102,470.73)
अन्य की ओर से प्राप्त किया गया ब्याज	11		
एफडीआर (पीएफ) पर ब्याज		2,115,570.00	2,864,674.00
एफडीआर (अन्य) पर ब्याज		3,475,025.00	7,656,426.00

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पण

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

अनुपमा गोयल

पार्टनर

एम. नं. 046053

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

बी.एच. अनिल कुमार

(कार्यकारी निदेशक)

एस. एस. बिष्ट

राष्ट्रीय आपदा निबंधन संस्थान (गृह मंत्रालय)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पण

अनुसूची 1

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

- क) वित्तीय विवरण प्राप्ति आधार पर पुराने लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुसरण में हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा फीस के लिए प्रावधान दर्ज नहीं किया गया है और मार्च, 2017 माह के लिए वेतन अप्रैल, 2018 में दर्ज किया गया है तथा मार्च, 2018 को व्यय में दर्ज नहीं किया गया है।
- ख) स्थिर आस्ति रजिस्टर भौतिक सत्यापन के लिए रखा जा रहा है और परियोजना के अधीन अर्जित सभी स्थिर आस्तियां संबंधित वित्तीय वर्ष जिसमें वह आस्ति खरीदी गई थी, में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की लेखा बही में पूंजीकृत की जाती हैं। स्थिर आस्तियां प्राप्ति लागत पर दिखाई गई हैं जिसमें स्थापित करने की लागत शामिल है यदि इसे वर्ष के दौरान प्रभारित अवमूल्यन द्वारा कम किया जाए। स्थिर आस्तियों पर अवमूल्यन का प्रावधान आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार किया गया है।
- ग) अनुदान सहायता जहां राशि प्राप्त की जाती है, लेखाबही में दर्ज किए जा रहे हैं।
- घ) सभी व्यय जहां और जब किए जाएं, लेखाबही में दर्ज किए जा रहे हैं।
- ड) पिछले वर्ष तक प्रबंधन में अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में अंशदान दिया है और निधि के प्रति कर्मचारियों का अंशदान भी रखा है। तथापि, यह सीपीएफ न तो सांविधिक भविष्य निधि में और न ही किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में जमा कराया गया। संस्थान ने उक्त निधि पीएसयू बैंकों में अवधि जमा के रूप में निवेश की और उस पर प्राप्त ब्याज सरकारी कोष में जमा किया गया। यह नीति अपनाई गई क्योंकि संस्थान ने केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से मान्यता प्राप्त नहीं की थी। अब एनआईडीएम के स्टॉफ के लिए पेंशन योजना कार्यान्वित करने के संबंध में गृह मंत्रालय के 24 मार्च, 2017 के पत्र संख्या 45-16/2012-एनडीएम-II के अनुसार एनआईडीएम ने 24 कर्मचारियों के संबंध में 3,31,86,938/- रुपए की राशि एनपीएस में जमा कराई है। तथापि, जिन कर्मचारियों ने सेवा छोड़ी है, न्यायालय में गए हैं और जिनका निधन हो गया है, उन कर्मचारियों सहित 3 कर्मचारियों जिन्होंने एनपीएस खाते में राशि जमा कराने का विकल्प नहीं दिया है, उनकी निधि (कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान) 85,98,301/- रुपए हैं जो एनआईडीएम बही में अभी बैंक खाते में है।

- च) विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहार को संव्यवहार करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।
- छ) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित/पुनः समुहीकृत किया गया है।
- ज) विशेष रूप से उल्लेख न की गई लेखांकन नीतियां अन्यथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुरूप हैं।

2. आकस्मिक देयताएं

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में मान्यता नहीं दी गई - शून्य।

- 3. प्रबंधन की राय में व्यापार के सामान्य क्रम में वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम वसूली का मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जो बैलेंस शीट में दर्शायी गई है। सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान लेखा में किया गया है।
- 4. गृह मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 2010 के पत्र संख्या 45-5/2008-एनडीएम-IV/II के माध्यम से एक अलग पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए) रखा गया है और जमा से प्राप्त ब्याज सहित परियोजनाओं से सृजित निवल बचत भारत की संचित निधि में जमा कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पीएलए के वित्तीय विवरण अलग से तैयार किए गए हैं।

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष

विशिष्टियां	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
	रुपए	रुपए
आरक्षितियां और अधिशेष		
अथशेष	112,784,532.38	105,887,003.11
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरित आय पर व्यय का आधिक्य		
पूंजी शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	(16,343,901.86)	(3,102,470.73)
- भूमि	-	10,000,000.00
- रोहिणी परिसर	100,000,000.00	-
- साउथ कैपस	34,355,140.00	-
कुल	230,795,770.52	112,784,532.38

अनुसूची 3: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

विशिष्टियां	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
	रुपए	रुपए
स्टॉफ अंशदान भविष्य निधि		
अथशेष	41,785,239.00	35,088,323.00
जोड़े: - नियोक्ता अंशदान	-	2,222,860.00
- कर्मचारी अंशदान	-	2,553,635.00
भविष्य निधि पर ब्याज	-	2,641,421.00
घटाएं: एनपीएस में जमा	41,785,239.00 (33,186,938.00)	42,506,239.00 (721,000.00)
सरकार को देय अन्य आय	8,598,301.00	41,785,239.00
जमा प्रारंभिक राशि	5,590,595.00	11,561,871.00
देय व्यय	261,298.00	261,298.00
प्राप्त सिक्यूरिटी	12,231,848.00	8,220,844.00
एनपीएस में नियोक्ता अंशदान	101,809.00	101,809.00
एनपीएस में नियोक्ता का देय अंशदान	207,033.00	-
बैंक शेष (चैक ओवरड्रशूड)	117,103.00	-
	-	795,278.27
कुल	27,107,987.00	62,726,339.27

अनुसूची 5 : निवेश

विशिष्टियां	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
	रुपए	रुपए
यूको बैंक में सावधि जमा		
(स्टॉफ अंशदायी भविष्य निधि)	-	42,339,267.00
यूको बैंक में सावधि जमा (अन्य)	51,451,973.00	63,159,733.00
सावधि जमा (बचत खाता)	91,802,499.00	-
प्राप्त ब्याज	-	-
कुल	143,254,472.00	105,499,000.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

अनुसूची 4: वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर आस्तियों और अवमूल्यन का विवरण

क्र. सं.	विशिष्टियां	दर	01.04.2017 तक डब्ल्यूडीवी	परिवर्धन		कटौती	कुल	वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2018 तक डब्ल्यूडीवी
				180 दिन से अधिक	180 दिन से कम				
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	पुस्तकें	40%	97,375.00	-	-	-	97,375.00	38,950.00	58,425.00
2.	कार्यालय उपकरण	15%	552,486.00	-	-	-	552,486.00	82,873.00	469,613.00
3.	फर्नीचर और उपस्कर	10%	2,109,062.00	-	-	-	2,109,062.00	210,906.00	1,898,156.00
	संयंत्र और मशीनरी								
4.	संयंत्र और मशीनरी	15%	479,084.00	-	-	-	479,084.00	71,863.00	407,221.00
	कंप्यूटर								
5.	कंप्यूटर और अनुबंधी	40%	103,100.00	-	36,810.00	33,693.00	106,217.00	35,125.00	71,092.00
6.	सॉफ्टवेयर	40%	107.00	-	-	-	107.00	43.00	64.00
7.	भूमि (रोहिणी कैपस)	0%	55,598,126.00	-	-	181,124.00	55,417,002.00	-	55,417,002.00
8.	निर्माणाधीन भवन (रोहिणी कैपस)	0%	9,143,204.00	29,351,299.00	14,094,319.00	-	52,588,822.00	-	52,588,822.00
	कुल		68,082,544.00	29,351,299.00	14,131,129.00	214,817.00	111,350,155.00	439,760.00	110,910,395.00

अनुसूची 6: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विशिष्टियां	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
	रुपए	रुपए
क. <u>चालू आस्तियां</u>		
<u>बैंक बकाया:</u>		
यूको बैंक खाता संख्या 1820020000924924	1,746,590.87	-
आटो स्वीप खाते में शेष	25,318.00	-
बैंक बकाया	1,771,908.87	-
ख. <u>ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां</u>		
प्रतिभूति जमा	15,000.00	65,000.00
स्रोत पर वसूली योग्य काटा गया टैक्स	253,673.65	253,673.65
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	1,154.00	1000.00
परिवहन अग्रिम	29,781.00	29,781.00
त्योहार अग्रिम	498.00	498.00
एलटीसी अग्रिम	87,500.00	-
पीएलए (विविध प्राप्ति खाते)	1,579,375.00	1,579,375.00
कुल	3,738,890.52	1,929,327.65

अनुसूची 7: गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (डीएम-डिवीजन)

विशिष्टियां	2017-18	2016-17
	रुपए	रुपए
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी केंद्रीय क्षेत्रीय की योजना के अधीन गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	78,678,721.00	75,000,000.00
कुल	78,678,721.00	75,000,000.00

अनुसूची 8: स्थापना व्यय (गृह मंत्रालय – अनुदान)

विशिष्टियां	2017-18	2016-17
	रुपए	रुपए
वेतन और भत्ते	31,964,193.00	31,275,071.00
यात्रा रियारत भत्ता/एलटीए	155,792.00	721,838.00
बोनस	-	-
भविष्य निधि में अंशदान	2,213,579.00	2,222,860.00
स्टॉफ भविष्य निधि में शेष पर प्राप्त ब्याज	-	2,641,421.00
ग्रेच्युटी	-	-
मेडिकल	321,984.00	186,196.00
ट्यूशन फीस	534,000.00	240,000.00
एलएसपीसी	-	-
कुल	35,189,548.00	37,287,386.00

अनुसूची 9: अन्य प्रशासनिक व्यय (गृह मंत्रालय – अनुदान)

विशिष्टियां	2017-18	2016-17
	रुपए	रुपए
मरम्मत और रखरखाव	1,937,549.00	2,238,576.00
डाक	105,913.00	92,261.00
मुद्रण और स्टेशनरी	275,488.00	284,552.00
बिजली और पानी के प्रभार	1,678,014.00	3,019,440.00
विविध व्यय	1,796,332.00	192,108.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	67,467.00	90,921.00
टेलीफोन व्यय	198,145.00	442,328.00
विज्ञापन और प्रचार	-	141,750.00
घरेलू यात्रा	663,076.00	1,491,942.00
विदेशी यात्रा	604,689.00	70,426.00
व्यवसायिक प्रभार	408,710.00	987,732.00
किराया, दर और कर	20,020,565.00	16,593,247.00
बैंक प्रभार	3,818.86	5,126.73
प्रकाशन	372,672.00	180,935.00
अनुसंधान और विकास	110,000.00	-
साउथ कैपस व्यय	2,205,568.00	2,810,128.00
कुल	30,448,006.86	28,641,472.73

अनुसूची 10: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय (गृह मंत्रालय – अनुदान)

विशिष्टियां	2017-18	2016-17
	रुपए	रुपए
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला व्यय	15,384,270.00	11,225,458.00
जेएनयू को अनुदान	11,330,000.00	-
कुल	26,714,270.00	11,225,458.00

अनुसूची 11: प्राप्त ब्याज

विशिष्टियां	2017-18	2016-17
	रुपए	रुपए
सावधि जमा पर ब्याज (भविष्य निधि)	2,115,570.00	2,864,674.00
अन्य ब्याज	3,475,025.00	7,656,426.00
कुल	5,590,595.00	10,521,100.00

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

अनुपमा गोयल

पार्टनर

एम. नं. 046053

बी.एच. अनिल कुमार

(कार्यकारी निदेशक)

एस. एस. बिष्ट

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

विशिष्टियां	31.03.2018		31.03.2017	
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
प्राप्तियां				
अथशेष				
बैंक बकाया (चालू खाता)	(795,278.27)		61,783,142.46	
बैंक बकाया (पीएफ सावधि जमा)	42,339,267.00		38,075,838.00	
बैंक बकाया (अन्य सावधि जमा)	63,159,733.00			
यूको बैंक बचत खाता	-		-	
		104,703,721.73		99,558,980.46
प्राप्त अनुदान				
एनडीएम कार्यक्रम स्कीम के लिए एमएचए से (राजस्व)	78,678,721.00		75,000,000.00	
एनडीएम कार्यक्रम स्कीम के लिए एमएचए से (पूँजी)	134,355,140.00		610,584.00	
एनडीएमए से एसएसपी कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	-			
		213,033,861.00		75,610,584.00
स्टाफ अग्रिम	-		1,400.00	
छोटे लेनदार	-		366,037.00	
बैंक ब्याज अन्य	2,115,570.00		7,656,426.00	
पीएफ के साथ पूंजीकृत एफडी पर ब्याज	2,357,833.00		2,864,674.00	
एफडी पर ब्याज (अन्य)	1,117,192.00			
भविष्य निधि	-		2,553,635.00	
एलटीसी अग्रिम	97,500.00			
आकस्मिक व्यय के लिए स्टाफ अग्रिम	29,862.00			
प्रतिभूति जमा	50,000.00			
		5,767,957.00		13,442,172.00
सार्क/आईएचडी से प्राप्त बिजली/पानी के बिल	-	-	429,662.00	
त्वाहार अग्रिम के लिए स्टाफ से प्राप्त	-	-	35,100.00	
				464,762.00
कुल		323,505,539.73		189,076,498.46
भुगतान				
पूँजी व्यय/अन्य देयताएं				
कंप्यूटर और अनुषंगी	3,117.00			
कार्यालय उपकरण	-		9,469.00	
भूमि और भवन - रोहिणी कैपस	43,445,618.00		9,143,204.00	
अन्य आय के लिए सरकार को भुगतान	11,561,871.00			
पुस्तकें	-		1,098.00	
		55,010,606.00		9,153,771.00
राजस्व व्यय				
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	26,349,104.00		9,333,926.00	
सरकार को भुगतान	-		8,054,780.00	
पीएलए	-		79,375.00	
		26,349,104.00		17,468,081.00
स्थापना व्यय				
वेतन और भत्ते	35,983,901.00		31,000,639.00	
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	50,572.00		721,838.00	
मेडिकल	321,984.00		140,356.00	

ट्यूशन फीस	115,500.00		240,000.00	
प्रेच्युटी	-		-	
एलटीसी व्यय	105,220.00		-	
भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम	-		721,000.000	
देय व्यय	-		2,251,019.00	
स्टाफ अग्रिम	-	36,577,177.00	40,000.00	35,114,852.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत और रखरखाव	2,090,903.00		1,780,624.00	
डाक प्रभार	89,648.00		91,381.00	
मुद्रण और स्टेशनरी	275,488.00		284,552.00	
बिजली और पानी प्रभार	1,722,044.00		2,975,410.00	
किराया, दर और कर	15,546,252		12,302,809.00	
विविध व्यय	2,325,267.00		172,471.00	
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	70,995.00		83,829.00	
टेलीफोन व्यय	208,132.00		408,863.00	
विज्ञापन व्यय	-		141,750.00	
घरेलू यात्रा	1,042,164.00		1,112,854.00	
विदेश यात्रा	643,420.00		31,695.00	
व्यवसायिक प्रभार	422,797.00		973,645.00	
प्रकाशन	372,672.00		180,935.00	
बैंक प्रभार	3,818.86		5,126.73	
अनुसंधान और विकास	110,000.00		-	
साउथ कैपस व्यय	2,205,568.00		2,90,128.00	
पुस्तकालय	4,165.00	27,133,333.86	-	22,636,072.73
सरकार को भुगतान				
एनपीएस ट्रस्ट को भुगतान (सीपीएफ)	33,186,938.00		-	
आकस्मिक व्यय के लिए स्टाफ अग्रिम	37,000.00		-	
एलटीए अग्रिम	185,000.00	33,408,938.00		-
अंतिम शेष				
चैक जारी किया गया परंतु सावधि जमा के लिए नहीं दिया गया	-		-	
बैंक बकाया (सीपीएफ सावधि जमा)	91,802,499.00		42,339,267.00	
बैंक बकाया (अन्य सावधि जमा)	51,451,973.00		63,159,733.00	
बैंक बकाया (चालू खाता)	1,746,590.87		(795,278.27)	
यूको बैंक बचत खाता	25,318.00	145,026,380.87	-	104,703,721.73
कुल		323,505,539.73		189,076,498.46

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

अनुपमा गोयल

पार्टनर

एम. न. 046053

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

बी.एच. अनिल कुमार

(कार्यकारी निदेशक)

एस. एस. बिष्ट

पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
 (गृह मंत्रालय)

31 मार्च, 2018 तक पीएलए बैलेंस शीट

(राशि रूपए में)

विशिष्टियां	अनुसूची	31.03.2018	31.03.2017
		रूपए	रूपए
संचित निधि और देयताएं			
पूंजी और आरक्षिती तथा अधिशेष	1	731,560	731,560
निर्धारित राशि	2	1,933,155	2,852,155
चालू देयताएं और प्रावधान	3	2,367,249	2,330,152
कुल		5,031,964	5,913,867
आस्तियां			
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	4	5,031,964	5,913,867
कुल		5,031,964	5,913,867

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 फर्म रजि. सं. 009771एन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

अनुपमा गोयल
 पार्टनर
 एम. नं. 046053

बी.एच. अनिल कुमार
 (कार्यकारी निदेशक)

एस. एस. बिष्ट

स्थान: नई दिल्ली
 तारीख:

**पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)**

31 मार्च, 2018 तक आय-व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

विशिष्टियां	31.03.2018	31.03.2017
	रुपए	रुपए
आय		
ब्याज आय	56,766.00	262,045.00
विविधि प्राप्ति	334,095.00	5,330.00
सावधि जमा पर ब्याज	367,650.00	-
कुल (क)	758,511.00	267,375.00
व्यय		
बैंक प्रभार	636.70	57.50
कुल (ख)	636.70	57.50
अधिशेष/कम होने के कारण बकाया (क-ख)	757,874.30	267,317.50
घटाएं: पीएओ, एमएचए को अंतरित बचत	757,874.30	267,317.50
अधिशेष/कम होने के कारण बैलेंस शीट में ले जाया गया बकाया	-	-

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

अनुपमा गोयल

पार्टनर

एम. न. 046053

बी.एच. अनिल कुमार

(कार्यकारी निदेशक)

एस. एस. बिष्ट

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (पीएलए)

अनुसूची 1: संकाय/पूंजी निधि

(राशि रूप में)

विशिष्टियां	31.03.2018	31.03.2017
	रुपए	रुपए
अथशेष	731,560.00	731,560.00
	731,560.00	731,560.00

अनुसूची 2: निर्धारित निधि

विशिष्टियां	31.03.2018	31.03.2017
	रुपए	रुपए
1. न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ‘आपदा प्रबंधन प्लान’ तैयार करने के लिए प्राप्त राशि अथशेष जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त	770,249.00 770,249.00	770,249.00 770,249.00
2. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त जोड़े: व्यय के लिए दिया गया अग्रिम	1,000,000.00 - -	1,000,000.00 - -
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग किया गया घटाएं: वापस की गई राशि	- 1,000,000.00	- -
		1,000,000.00
3. ऑनलाइन – डब्ल्यूवीआई पाठ्यक्रम से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त	81,000.00	- 286,550.00
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई/व्यय घटाएं: सरकारी कोष में देय बचत	- -	57,545.00 (229,005.00)
	81,000.00	-
4. सार्क से एसएडीकेएन परियोजना के लिए प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटाएं: सरकारी कोष में देय बचत	- - -	103,780.00 - 75,906.00
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई/व्यय	-	27,874.00
	-	27,874.00
5. आईआरएस मॉड्यूल तैयार करने के लिए यूएसएआईडी से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई/व्यय	400,000.00 - -	400,000.00 - -
	400,000.00	400,000.00
6. यूजीसी से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त	681,906.00 -	681,906.00 -
	681,906.00	681,906.00

	31.03.2018	31.03.2017
7. एनडीएमए से एएमसीडीआरआर, 2016 के लिए प्राप्त राशि	-	-
अथशेष	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त	-	1,446,000.00
	-	1,446,000.00
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई/व्यय	-	615,554.00
घटाएं: एनडीएमए को लौटाया गया अव्ययित बकाया	-	830,446.00
	-	-
8. सूखा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एमओए से प्राप्त राशि	-	-
अथशेष	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त	-	100,000.00
	-	100,000.00
घटाएं: सरकारी खाते में जमा बचत	-	91,975.00
घटाएं: वर्ष के दौरान खर्च की गई/व्यय	-	8,025.00
	-	-
9. विदेश मंत्रालय से प्राप्त राशि	-	-
अथशेष	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त	900,000.00	-
घटाएं: वर्ष के दौरान खर्च/प्रयोग की गई	900,000.00	-
	-	-
कुल	1,933,155.00	2,852,155.00

अनुसूची 3: चालू देयताएं और प्रावधान

विशिष्टियां	31.03.2018	31.03.2017
	रुपए	रुपए
सरकारी खाते में देय परियोजना बचत	757,874.30	720,776.78
प्रारंभिक राशि प्रतिभूति जमा	30,000.00	30,000.00
एनआईडीएम (मुख्य खाता)	1,579,375.00	1,579,375.00
कुल	2,367,249.30	2,330,151.78

अनुसूची 4: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विशिष्टियां	31.03.2018	31.03.2017
	रुपए	रुपए
चालू आस्तियां		
नकद राशि	-	-
बैंक बकाया:		
यूको बैंक खाता संख्या 6139	27,963.08	857,293.78
सावधि जमा (एफडीडी)	5,004,001.00	5,056,573.00
कुल	5,031,964.08	5,913,866.78

पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2018 तक प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रूपए में)

विशिष्टियां	31.03.2018		31.03.2017	
प्राप्तियां				
अथशेष				
यूको बैंक (बचत खाता)	857,293.78		6,678,072.28	
सावधि जमा	5,056,573.00	5,913,866.78	-	6,678,072.28
वर्ष के दौरान प्राप्ति				
1. डब्ल्यूवीआई ऑनलाइन पाठ्यक्रम से प्राप्ति	87,000.00		286,550.00	
2. सरकार के लिए एफडी पर प्राप्त ब्याज	17,222.00		56,573.00	
3. विदेश मंत्रालय से सार्क वेतन के लिए प्राप्ति	900,000.00		-	
4. एएमसीडीआरआर कार्यक्रम	-		1,446,000.00	
5. सूखा कार्य के लिए एमओए हेतु प्राप्ति	-	1,004,222.00	100,000.00	1,889,123.00
अन्य प्राप्ति				
1. विविध प्राप्ति	334,095.00		5,330.00	
2. प्राप्त ब्याज	407,194.00	741,289.00	262,045.00	267,375.00
कुल		7,659,377.78		8,834,570.28
भुगतान				
परियोजना व्यय				
1. एएमसीडीआरआर - 2016 व्यय	-		536,179.00	
2. सूखा परियोजना व्यय	-		8,025.00	
3. एसएडीकेएन परियोजना व्यय	-		27,874.00	
4. सार्क वेतन व्यय	900,000.00	900,000.00	-	572,078.00
अन्य व्यय/भुगतान				
1. एनडीएमए को लौटाया गया अनुदान	1000000		0	
2. ऑनलाइन पाठ्यक्रम फीस की वापसी	6000		0	
3. ऑनलाइन कार्यक्रम व्यय	-		57,545.00	
4. एनडीएमए को एएमसीडीआरआर कार्यक्रम के लिए लौटाई गई राशि	-		830,446.00	
5. बैंक प्रभार	636.70		57.50	
6. गृह मंत्रालय को दी गई परियोजना बचत	720,777.00	1,727,413.70	1,460,577.00	2,348,625.50
अंतिम शेष				
यूको बैंक (बचत खाता)	27,963.08		857,293.78	
सावधि जमा	5,004,001.00	5,031,964.08	5,056,573.00	5,913,866.78
कुल		7,659,377.78		8,834,570.28

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

अनुपमा गोयल
पार्टनर
एम. न. 046053

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

बी.एच. अनिल कुमार
(कार्यकारी निदेशक)

एस. एस. बिष्ट



Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट : www.nidm.gov.in